

Rule 377

[Shri Vasant Sathe]

matter. Yesterday over a thousand persons were arrested in Delhi for protesting against the withdrawal of facilities which were being given to neo-Buddhists. Three leaders of the RPI are on hunger strike indefinitely and they are: Mr Gavai, Deputy Chairman of the Vidhan Parishad of Maharashtra, Mr. Khumbare, Member of Parliament of Rajya Sabha and Mr. Arumugham from Karnataka. These are eminent leaders of the RPI who are on indefinite hunger-strike.

They asked for permission yesterday to sit there on hunger-strike at the boat club but they were not granted that permission. But at the same spot yesterday a big mela was organised in support of Shri Charan Singh to felicitate him for having arrested Mrs. Indira Gandhi in a most fantastic and farcical manner. In support of that they organised this mela there. That was permitted. But, here, Section 144 was cited as an excuse for preventing these people from sitting on a hunger-strike. That is the same spot where the mela was allowed to be organised. Truck-loads of people were brought from outside although they prevented earlier thousands of secondary school teachers who came from Uttar Pradesh and other places all over the country to come to this place. This is the manner in which these people have been treated.

I want to draw the attention of the House to this serious matter. These people are greatly agitated. I hope that you and this House will try to do justice to restore the facilities given to them. Merely because the backward cast people have become neo-Buddhists, they do not become forward economically, socially or otherwise. And, therefore, these facilities should not be withdrawn. This is my submission (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Order, order.

SHRI VASANT SATHE: Because the Prime Minister, Shri Morarji Desai publicly told that their facilities

Misuse of mass media during emergency (Motn.)

would be withdrawn, that is why I want you to give us the assurance here and now that these facilities would be continued. That is all that I am asking you.

14.51 hrs.

MOTION RE: WHITE PAPER ON MISUSE OF MASS MEDIA DURING INTERNAL EMERGENCY—

Contd.

MR. SPEAKER: Now we go back to further consideration of the motion moved by Shri L. K. Advani under item No. 11. Shri O. P. Tyagi.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों में मैं ने हिटलर की कहानी पढ़ी थी कि उस ने किस प्रकार मास मीडिया का दुरुपयोग किया था। इस देश में भी एक हिटलर की वही कहानी आज मैं कहने जा रहा हूँ।

इस देश में तानाशाही स्थापित होने के पश्चात आपत्तिकाल में जो मास मीडिया का दुरुपयोग हुआ और वह चीज हमारे सामने आई, इसके लिए मैं अपने सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय श्री अडवाणी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक इन्क्वायरी बैठक जनता के सामने उसमास मीडिया के दुरुपयोग को रखा और आज शाह कमीशन के सामने भी वे सब तथ्य समर्पित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहन इन्दिरा गांधी ने क्या किया। इमर्जेंसी घोषित होने के पश्चात 24 जुलाई को एक बैठक बुलाई, जिस में गोखले साहब, श्री विद्या चरण शुक्ल और श्री पार्थसारथी चैयरमैन प्लानिंग कमेटी शामिल हुए थे। उस बैठक में उन का निर्णय यह हुआ कि प्रेस कौंसिल को समाप्त किया जाए और जो चार समाचार एजेंसियाँ थीं, उन का एक नई सरकारी एजेंसी में विलय कर दिया जाए और संवाददाताओं की स्वतंत्रता को समाप्त किया जाए और सरकार तक उन को पहुँच भी नियंत्रित कर दी जाए। इसके अलावा उन विदेशी संवाददाताओं को देश

से निकाला जाए जोकि सरकार की नीति का समर्थन नहीं करते। उस समय की स्थिति का वर्णन 12 नवम्बर, 1977 के बिलिट्ज में बहुत सुन्दर ढंग से हुआ है, जिस की कुछ पंक्तियाँ मैं आप को पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ :-

"The media became a handmaid of the evolving dynastic dictatorship. Shortly after the declaration of the Emergency, Sanjay told Inder Gujral that his Radio and TV programmes were insipid. An emotionally upset, Gujral answered that, "my commitment to your mother and the Congress is older than your age". Within hours, Gujral was out and Shukla was brought in."

अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति उस समय तानाशाही की थी। प्रेस का गला घोटा गया और प्रेस का गला घोटने के लिए कानून को बदला गया, संविधान में संशोधन कर के प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त किया गया, प्रेस पर सेंसर लगाया गया और आपत्तिजनक मेटर के नाम पर अपने विरुद्ध कोई भी चीज लाई गई, तो उस के खिलाफ कार्यवाही की गई। और जो कानून बनाया गया उसको नाइन्थ शेड्यूल में रख दिया गया ताकि कोई उसके खिलाफ कचेहरी में न जा सके। यहां तक कि इस संसद की कार्यवाही के छापने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। उस समय हम लोग विरोधी दल में थे, हमने वहां विरोध प्रकट किया और संसद का बहिष्कार तक किया। हमने उस समय कहा था कि यह हमारा अधिकार है कि हम जो कुछ संसद में बोलते हैं वह समाचारपत्रों में छपना चाहिए ताकि जनता को इसकी जानकारी हो। लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी गई।

जो समाचारपत्र स्वतंत्र थे या विरोधी पक्ष के थे उनकी मान्यता समाप्त कर दी गयी। जिनकी मान्यता समाप्त नहीं की गयी उनकी आर्थिक सहायता बन्द कर दी गयी ताकि वे

अपनी मौत आप मर जाएं। जब कोई आर्थिक सहायता ही नहीं मिलेगी। विज्ञापन नहीं मिलेंगे तो समाचारपत्र अपने आप ही समाप्त हो जायेंगे। जो सम्पादक अपने स्वतंत्र विचार रखते थे, अपनी स्वतंत्र सम्मति रखते थे उनकी नौकरी समाप्त कर दी गयी। समाचारपत्रों को केवल इस बात की इजाजत थी कि वे आधे दिन इंदिरा जी और श्री संजय गांधी के गीत गाया करें, उन्हीं का गुणगान किया करें। झाल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर उनको देश का उद्धारक, कल्याणकर्ता सिद्ध करने की चेष्टा की जाती थी। आपात्कालीन स्थिति की आवश्यकता, मौचित्य एवं शुभ परिणामों को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता था।

एक बीस सूची कार्यक्रम दिया गया और उसके साथ बाद में श्री संजय गांधी का चार सूची कार्यक्रम और जोड़ दिया गया जिसका जनता ने अर्थ लगाया कि यह 420 कार्यक्रम है और इसी की प्रशंसा में आकाशवाणी और दूरदर्शन लग गये। इस आपात्कालीन स्थिति के दौरान इस मास मीडिया पर जो खर्च किया गया, अध्यक्ष महोदय उसके आंकड़े में आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे यह सिद्ध होगा कि पैसे का कितना दुरुपयोग किया गया।

1974-75 में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के बजट में 11.9 करोड़ रुपये खर्चा गया था जो कि 1975-76 में 14.5 करोड़ रुपये हो गया और 1976-77 में यह राशि बढ़ा कर 18.7 करोड़ कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, समाचार पत्रों को कोई भी सही बात कहने नहीं दी गई। यहां दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हजारों घरों को साफ कर दिया गया। वहां लोगों को गोलियों से भून कर जमीन साफ करा ली गई। जो लोग वहां मरे उनकी सूचना तक समाचारपत्र नहीं दे सके। यह केवल तुर्कमान गेट के साथ ही नहीं हुआ, अपितु मुजफ्फरनगर, आगरा, फैजाबाद, सुलतानपुर और पिपली आदि में भी गोलियां

[श्री श्रीम प्रकाश त्यागी]

चलीं लेकिन समाचार-पत्रों में इनके बारे में एक शब्द नहीं आया। समाचार-पत्रों की यह दयनीय अवस्था कर दी गई।

अध्यक्ष महोदय, 9 सितम्बर, 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी के डायरेक्टरों की एक बैठक की। जब डायरेक्टरों ने उनके सामने यह बात कही कि अगर इस प्रकार से आकाशवाणी से या दूरदर्शन से असल समाचार प्रसारित किये गये तो जनता का इनके समाचारों पर सँ विश्वास उठ जाएगा तो अध्यक्ष महोदय, इंदिरा जी ने क्या जवाब दिया? इंदिरा जी ने इस प्रकार अपने उद्गार प्रकट किये—

“ईमानदारी की बात है कि मैं नहीं जानती कि विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? कौन विश्वसनीय है, कौन नहीं है? समाचारपत्र जो दिन-रात झूठी बातें प्रकाशित करते रहते हैं?”

फिर उन्होंने इस मास मीडिया का दुरुपयोग करने के लिए अधिकारियों को जो आदेश दिये वे भी अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए —

“अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो उसे सरकार के आदेशों का पालन करना ही होगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी यह समझते हैं कि सरकारी आदेश ठीक नहीं हैं, वे उनका पालन नहीं कर सकते, या इस बारे में उनके अलग विचार हैं, जिन्हें वे खुलकर प्रकट करना चाहते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी छोड़ने से कोई नहीं रोकता, और उन्हें ऐसे किसी संगठन में चला जाना चाहिए जहाँ उन्हें

अपना मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता हो। लेकिन जब तक वे सरकारी सेवा में हैं उन्हें सरकारी नीतियों व आदेशों का पालन करना ही होगा।”

उन्होंने यह डायरेक्शन, यह आदेश दिया। यह तानाशाही आदेश उन्होंने मास मीडिया के दुरुपयोग के लिए दिया। यही तक नहीं। आस इंडिया रेडियो का कोड 1967 में बना था। मंत्रिमंडल ने उसको अपनी स्वीकृति दी थी। 1970 में उस में संशोधन किया गया। उसके बाद विद्या चरण शुक्ल जी सूचना प्रसारण मंत्री बने। उन्होंने इस कोड को फाड़ कर फेंक दिया। उसके बाद आप बहन इंदिरा गांधी के विचार सुनिये। उन्होंने ए० आई० आर० के प्रचार और प्रसार के बारे में, सत्य क्या है, असत्य क्या है इसके बारे में आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों की बैठक में कहा कि ये संस्थान सीधे सरकार के अधीन हैं इसलिए तटस्थता और सत्यता आदि को छोड़ कर सरकार के हर कदम का समर्थन करना ही उनका काम है। यह बहन इंदिरा का आदेश हुआ।

14.55 hrs.

[SHRI TRIDIB CHAUDHURI in the Chair]

फिल्म डिविजन को आप देखें। इसको बीस सूची कार्यक्रम की प्रशंसा करने के काम में लगाया गया। मैं इसका एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। एमरजेंसी काल में एक फिल्म बनी थी, बहुत शानदार फिल्म थी जिसका नाम था ‘ए डे विद दी प्राइम मिनिस्टर’। यह 603 मीटर लम्बी थी। इस पर 2 लाख 24 हजार 68 रुपये खर्च हुए। यह श्रीमती इंदिरा गांधी को दिखाई गई। इसके प्रदर्शित होने से पहले यह उनको दिखाई गई। उन्होंने यह कहा था

कि इस में मेरे बारे में कुछ थोड़ा कहा गया है और कुछ अधिक कहा जाना चाहिए था। अन्त में जाते समय उन्होंने आदेश दिया था कि राजकुमार संजय गांधी वुड बी प्राइम मिनिस्टर को यह फिल्म दिखाई जाए, वह पास कर दें तो फिल्म दिखाई जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि फिल्म की दुबारा शूटिंग हुई।

फिल्मों के सम्बन्ध में एक और भी घटना हुई। विरोधी फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया। फिल्म गांधी चल रही थी। दुर्भाग्य की बात है कि उसकी एक्टर श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह एक्ट कर रही थीं, उसका भाषण करने का तरीका और लहजा उस के जैसा ही था। आजकल का नक्शा सामने आ रहा था। इस फिल्म की ओर जब इन्दिरा गांधी का ध्यान आकर्षित हुआ तो उस पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगा दिया गया। एक और भी फिल्म थी जो बहुत ही सुन्दर थी अच्छी थी, 1942 के स्वतन्त्रता आन्दोलन के ऊपर यह बनाई गई थी। उस में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो के नारे को ले कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गतिविधियां दिखाई गई थीं और तोड़-फोड़ और भूमिगत कारवायियों के दृश्य दिखाए गए थे। उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। एक और फिल्म उसी समय बनी 'किस्ता कुर्सी का' जिस का निर्माण श्री अमृत नहाटा जो पालियामेंट के मੈम्बर हैं उन्होंने किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो कुछ हुआ, वह वास्तव में प्रश्न कुर्सी की रक्षा का ही था। आपात काल की घोषणा हुई और उस समय की राजनीति एवं राजनीतिक नेताओं की मनोवृत्ति सामने आई, और जो ड्रामा खेला गया उसको उस में दिखाया गया था। उस फिल्म पर इस वास्ते प्रतिबन्ध लगा दिया गया। उसको चलने ही नहीं दिया गया। यहाँ तक कि फिल्म के नेगेटिव तक को जला दिया गया। उसके जले हुए अवशेष कहां मिले, मारुति लिमिटेड में मिले। अब इसकी इनक्वायरी हो रही है। उस के फलस्वरूप क्या निकलेगा मैं नहीं जानता हूँ।

एक और कांड हुआ। फिल्म डिवीजन में डाकुमेंटरी फिल्में बनती हैं। वहां निर्देश निकला कि युवक कांग्रेस के लोग जहां जहां इन फिल्मों को दिखाने का आदेश देंगे, वहां जहां ये दिखाई जाएंगी। यह चीज चलती रही, लडू घडू युवक कांग्रेस के आदेश पर सब शहरों में इधर उधर सब को दिखानी शुरू कर दी गई और वहां ये जाने लग गईं। फिर निर्देश हुआ कि नहीं युवक कांग्रेस के मंत्री श्री मफूर आज़म खां जहां आदेश देंगे वहां फिल्म डिवीजन और ड्रामा पार्टी जाएगी। इसका नतीजा क्या हुआ? अमेठी में फिल्म डिवीजन ने 76 कार्यक्रम पेश किए और राय बरेली में 75। इस तरह से मास मीडिया का दुरुपयोग किया गया। यहां दिल्ली में एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ "गीतों भरी शाम" के नाम से युवक कांग्रेस की तरफ से जिसमें संजय गांधी उपस्थित थे। लाखों रुपया टिकट से जमा हुआ। फिल्मों में काम करने वाले बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्री जमा हुए, दिल्ली की जनता भी जमा थी, लेकिन एक स्वाभिमानी अभिनेता श्री किशोर कुमार नहीं आये। जो रुपया जमा हुआ वह सब राजकुमार संजय गांधी को दे दिया गया, उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं। और दूसरे यह हुआ कि किशोर कुमार के गानों पर आल इंडिया रेडियो में प्रतिबन्ध लगा दिया गया और जिस जिस फिल्म में उसने काम किया उसका पास होना कठिन हो गया।

अन्त में 1977 का चुनाव आया उस समय पर प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी पार्टी का किस प्रकार प्रचार हो इस पर समाचार-पत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन सभी को लगा दिया गया और उस लक्ष्य की पूर्ति का आदेश हुआ। इसके लिए उन्होंने एक निरीक्षक नियुक्त कर दिया ताकि वह देखे कि कांग्रेस, श्रीमती इन्दिरा गांधी और संजय को जिताने के लिए आल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

समाचार-पत्र उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं। कोड आफ़ ऐथिक्स को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह गाइड लाइन्स लगा दी गई और कहा गया कि स्वतन्त्र चुनाव कराये जायेंगे तटस्थता के साथ। गाइड लाइन्स उस समय आर्यां। उससे पहले सेंसरशिप भी चुनाव घोषणा से पहले। लेकिन इन्दिरा गांधी ने दूसरों की आंख में धूल झाँकने के लिए सेंसरशिप हटा दी, लेकिन उसकी जगह क्या हुआ।? जो सेंसरशिप अधिकारी था उसको प्रैस का चीफ़ ऐडवाइजर बना दिया गया और वह तमाम समाचार-पत्रों की देखभाल करता था। और जो समाचार स्वतन्त्रतापूर्वक निकल जाते थे, क्योंकि प्रीसेंसरशिप होता नहीं था, तो ऐसे समाचार-पत्र के संपादक को बुलाकर कहते थे कि देखिए सरकार की जो मान्यता है उसकी नीति के अनुसार यदि आपने आचरण नहीं किया तो आपके ऊपर सेंसरशिप लगा दी जायेगी। उस काल में बहुत से समाचार-पत्रों पर सेंसरशिप रही और बहुतों से हट भी गई। लेकिन हटने पर भी चीफ़ ऐडवाइजर गला घोट कर समाचार छपवाता था। इतना ही नहीं देश और प्रान्तीय स्तर पर जो समाचार-पत्र निकलते थे उनके ऊपर भी निरीक्षक था।

एक विशेष आदेश निकला 3 फ़रवरी, 1977 को जिस दिन श्री विद्या चरण शुक्ल ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और सूचना प्रसारण अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई और आदेश दिया कि नित्य प्रातः साढ़े 10 बज बैठक होगी और इस बात पर विचार किया जायगा कि हमारी प्रगति किस प्रकार से हो रही है। फ़रवरी, 1977 की बैठक में श्री शुक्ल ने दूसरा निर्देश दिया और वह शानदार निर्देश था कि आज के बाद में सूचना और प्रसारण जितना भी होगा उसका दो अंश कांग्रेस के पक्ष में होगा और

एक अंश विरोधियों के लिए दिया जायगा। दो और एक के रेशियो से समाचार दिये जायेंगे। उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि यह भी थोड़ा है अतः फिर उन्होंने कर दिया कि तीन और एक के रेशियो से प्रचार होगा यानी तिगुना कांग्रेस का प्रचार होगा और एक तिहाई दूसरी पार्टियों का होगा आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से। उसमें भी उनको संतोष नहीं हुआ। अन्त में संतोष उन्होंने तब किया जब यह हुआ कि 8:1 से प्रचार होगा अर्थात् 8 गुना प्रचार कांग्रेस का होगा और आठवां भाग विरोधी पार्टियों का प्रचार होगा। इस प्रकार से निर्देश दिये गये, तानाशाही हुई और चुनाव का ड्रामा भी चला। लेकिन मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ कि इतना मास मीडिया का दुरुपयोग और कांग्रेस पार्टी के प्रचार के बावजूद भी देश की जनता ने इस तमाम षडयंत्र को फेल कर दिया और देश में तानाशाही को समाप्त कर पुनः प्रजातन्त्र की स्थापना कर दी।

मैं कहना चाहता हूँ कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश में मास मीडिया का दुरुपयोग तानाशाही के रूप में किया। इस देश में जो कि महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, राम, कृष्ण का देश है जहाँ कि विचार स्वातन्त्र्य की पूजा होती है, धर्म-दर्शन में भी विचार स्वातन्त्र्य को माना गया है और विचार स्वातन्त्र्य देवता को इस रूप में लिया कि मानवता का अगर कोई प्रतीक है तो वह विचार स्वातन्त्र्य ही है, वहाँ पर उन्होंने मास मीडिया का दुरुपयोग किया। इस देश में मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहा जाता है कि उसमें मननशीलता है, मनन करने की शक्ति है, सत्य-असत्य क्या है, पाप-पुण्य क्या है, इस पर सोचकर मनन कर सके और अपनी वाणी से उसका प्रचार कर सके।

इस देश में इन्दिरा गांधी से पहले कभी लोगों के दिमागों पर ताले नहीं लगाये

गये, लेकिन एमर्जेंसी के जमाने में तानाशाह इन्दिरा गांधी ने लोगों की वाणी पर ही तालें नहीं लगाये अपितु हम लोगों के दिमागों पर भी तालें लगाने की कोशिश की और मानवता का गला इस देश में घोट दिया गया। उन्होंने मास मीडिया का दुरुपयोग अपनी कुर्सी के लिए किया। मैं सोच रहा था कि मानवता की हत्या, इस देश में जो की जा रही है तो क्या कभी इस देश में फिर सूर्य का उदय हो सकेगा? ऐसा लगता था कि नहीं होंगे लेकिन अन्त में कभी-कभी ऐसी आशा लगती थी कि अवश्य होगा, और वह सत्य निकला। गीता में एक श्लोक आता है—

यद, यदाहि धर्मस्य, ग्ल, निभं वति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मन सृज, म्यहम् ॥

यह उपदेश गीता में भगवान् कृष्ण ने दिया था। इसी आशा पर हम ज़िन्दा रहे, उसे पढ़ते थे, विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन हुआ। वही, अन्ततः इस देश में उद्धार हुआ, प्रकाश हुआ, भगवान् की ज्योति जगमगाई और मानवता के सूर्य का उदय हुआ और फिर से अ.ज यह दिन देखने को मिला।

इस मास मीडिया का गला घोटने से हमको तो जो हानि हुई वह हुई, हमारा क्या बिगड़ा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बहिन इन्दिरा गांधी का बनाया हुआ यह जाल, उन्हीं के लिए मौत बनकर खड़ा हो गया। अगर बहिन इन्दिरा गांधी ने मास मीडिया का दुरुपयोग न किया होता, सेंसर न किया होता, रेडियो और दूरदर्शन का दुरुपयोग न किया होता तो उन्हीं देश की सही नब्ब का पता चल जाता कि कहां क्या हो रहा है, देश की जनता के दिलो-दिमाग में क्या है। लेकिन वह अपने बनाये हुए अभेद्य किले में खड़ी हो गई और समझने लगी कि अब कोई कुछ नहीं कह सकता। उस समय केवल मास मीडिया का ही

दुरुपयोग नहीं हुआ बल्कि इंटरलिजेंस विभाग का भी गला घोंटा गया। जो थोड़ी बहुत खबर इन्दिरा जी को मिल जाती थी उसके बारे में भी यह हो गया कि उन तक न पहुंच सके। चुनाव कराये जायें या नहीं इसकी रिपोर्ट इंटरलिजेंस वालों से मांगी गई। उन्होंने रिपोर्ट दी कि वातावरण तुम्हारे फेवर में नहीं है। सिलसिला यह हुआ कि वह रिपोर्ट पहले राजकुमार संजय गांधी को दी जायेगी। उन्होंने उसे देखकर स्टुपिड कह कर उन्हें वहां से भगा दिया। स्टुपिड कह कर वह रिपोर्ट फाड़ी गई। दुबारा नई रिपोर्ट मंगाई गई लेकिन उसको भी ठीक नहीं समझा। अन्त में उन इंटरलिजेंस वालों ने कहा कि जब यह मरने के लिए तैयार बैठे हैं तो कैसे बचायेंगे। उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि आपकी 380 सीट तो निश्चित पड़ी हैं, चुनाव घोषणा कर दो। इन्दिरा गांधी का पाप उनके सामने आ गया, उन्होंने मास मीडिया को मारा, और मास मीडिया ने उनकी तानाशाही और उन्हें ही समाप्त कर दिया और देश में फिर मानवता के सूर्य का उदय हुआ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Doley may speak now. Before the Member starts. I would like to tell all Members who desire to participate that I have a very long list of speakers. Thirty-three names appear on the Janata Party list. From the Congress, of course, there are two, and there are one or two other Members. We have only two-and-a-half hours' time at our disposal. When would the Minister like to speak?

The Minister of information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): Sir, it is in your hands. How much time remains, I do not know.

MR. CHAIRMAN: Only two-and-half hours are there.

SHRI L. K. ADVANI: I think I will take about half-an-hour.

MR. CHAIRMAN: That means, two hours for the other speakers. So we have to run for our time and I would request all participants to bear that fact in mind and limit their speech.

SHRI L. K. DOLEY (Lakhimpur): Thank you for your observation about the paucity of time about which we are also very much conscious.

At the outset I would like to state that this is my maiden speech and also that I am one of the speakers participating from the Congress side in this debate. In the beginning I am very much painful to express my regret that I have not been able to extend my support to this motion tabled in this House by Shri L. K. Advani. I have gone through the White Paper which opens with very brilliant quotations of speeches right from Nehru down to "Hitler Speaks". I am not going to quote all of them. I will only quote the second part as below:

"Each one studied to tell Hitler what he wanted to hear, and sought to outshine his rivals and competitors in the matter of favourable and agreeable news calculated to show up his own ability and skill in brining about the desired results..?"

In fact, I would not like to quote all the passages, but in order to save time, I read only half the portion.

Sir, during these 6 to 7 months of the Janata regime I was only hoping that at least after 30 long years democracy has been successful in India. A new Government has come up in the name of Janata Party and as a democrat I felt very happy that a viable alternative to Congress has come up after long duration of 30 years.

But I also feel that the succeeding government must be an improvement on the past government, whether it is of the Congress or of any other party. After all, a new party, a new government has to improve upon the lapses and mistakes of the earlier government. That should be the procedure and philosophy guiding all of us, to

whichever party we belong. With that idea in view, I was always expecting that this new government will come up with programmes which will inspire the nation. After all, there is no denying the fact that India is a poverty-stricken country; and millions of our people are in a starved or semi-starved state. I do not have much of that boldness to claim that the Congress has done everything good. Maybe, the Congress during the last 30 years has committed mistakes; but the new Government has to come up with new programmes and lead the nation to its bright future.

I have keenly observing the performance of this Government; and I find that it has not been dedicating itself to what it should do, but it has been concentrating to find fault with the past of Congress Government. I am surprised to find that it has been dedicating itself to what the Congress had done, and it is out to condemn the Congress outright. I would like to quote from a famous English writer, whose name is T. L. Cyler, who says:

"A spirit of criticism, if indulged in continuously, leads to a censoriousness disposition, which is destructive of all nobler feelings."

The man who lives to find fault with others has a miserable mission. I am not incriminating anything against the Janata party. I am simply quoting. I am a maiden speaker. I would like to be assured that I shall not be interrupted. Again, quoting—"Some critics are like Chimney sweepers, they put out the fire below and frighten the swallows from their nest above, they scrape a long time in the Chimney, cover themselves with foot and bring nothing away but a bag of cinders and then singout from the top of the house as if they had built it." India of to-day was not built to by the Janata party. India of to-day was built by Indians and the Congress Party. I am surprised that many of our friends who were here in this bench, have shifted to the other benches. May be many might come here

again; and many might go there. I will not be surprised about it. But our difficulty is that our loyalty to the Congress has suffered. We cannot become a hero by shifting our loyalty. Many of the hon. Members sitting on the other side resemble us. I feel at home with them. But when they speak about the Congress in a critical manner. I simply feel surprised.

To my mind, it is too early to give a critical comment about this Janata Party Government. After all, it is of recent origin and reasonable time has to be given before any comments, fair comments, could be made. The entire nation is watching the party, how it is functioning.

But what I notice is that, instead of launching any programme of development, any economic or other developmental activity, they are concentrating their attention on the past of the Congress, on the post mortem. Will it carry us any far? Excuse me for asking, what is the use of digging the graves of the Congress? After all the people have been expecting some better cloth, some better food and amenity and control of the price rise. The people have been waiting for reasonable prices and not prices soaring high as it is today so that they can have their own clothing, food and shelter. Instead of supplying them with food and their essential requirements at reasonable prices, you have been digging the grave of the Congress, taking out the carcass out of the graves and releasing nasty smells into the kitchen of the poor peoples as if the fashion of life has changed from eating to smelling.

You have been very critical that the Indira Government wanted to bring in a dictatorial regime. Though I have my own reservations on that, I should like to congratulate you for being able to break it through. But, at the same time, I am very unhappy about one aspect. It is true you have all been to jails. A lot of political workers have gone to jails. The Congress workers have also been to

jail and we will continue to go to jail, because we have our own programme to perform. You may arrest us and put us in jail. It is the prerogative of the party in power to put people in jail when the occasion or necessity arises. But, along with your release, many of the undesirable elements who have been in jail are also out. Can you deny the fact that along with you the blackmarketeers, hoarders, profiteers and smugglers have been equally free? Whatever may be your reply to it in this House, whether it is this way or that way—there can be a number of replies because you have a majority in the House; you can get us drowned by your own sound: I do not bother about it—the feeling throughout the country is, the massive reaction throughout the country and in the nation is, though you may be the party in power, over and above you there are elements who are reigning supreme, like blackmarketeers, hoarders, profiteers and smugglers and the Government has no contrast over them. These four elements have been reigning supreme over the Janata Government and the Government have not been able to take drastic steps against these four elements. The Government while failing to tackle the price problem, is throwing its entire wrath against the Congress Party and its prominent members to divert people's attention. Please do not console yourself. But the Indians are very intelligent and wise. They have been keenly watching what you are saying and what you are doing.

You may condemn us before the nation and pose yourself as the noble ones. The nation is expecting from you something noble, something new, something novel coming up with a new programme. But you are entirely failing in this direction. Speaking for myself though I belong to a party on this side of the House, I would like to make it perfectly clear that neither the Congress nor the Janata is greater than the country. After all, we will be nowhere in the chronicles of history. When the history will be recorded, it will be written about the

[Shri L. K. Doley]

nation. It is not a question of the Janata or Congress Party; the question is what the nation has gained and what it has lost through all these years and what is in store for us in the future; that would be the thing which would be vital to each one of us, to each individual, to whichever camp we may belong to-day.

You have been condemning Emergency. I remember sometime back I put a supplementary question which Shri Ravindra Varma had replied. I was prompted to ask the supplementary after hearing the speeches and reactions of the Janata Government and its members being so critical of the Emergency. "You have been ceaselessly condemning the emergency, but may I ask you is it not the emergency that has brought the emergence of the Janata Party." Shri Ravindra Varma was very kind and intelligent to reply, and I was really happy and I congratulate him. He said: "The supplementary put by the hon. Member is not much related to the original one, but if the hon. Member so insists on a reply, he may ask his own conscience." I was very happy because the reply that I get by asking my own conscience is the same reply that he gets by asking his own conscience.

It is rather we, Congressmen, in a sense who should have condemned the emergency because it has brought an end of the Congress regime for the first time and brought the emergence of the Janata Party. Otherwise, it would never have been possible. For 30 years the opposition parties could not unite against the Congress. It is the emergency which got them united. They were born out of the emergency. It has been really a loss to the Congress and a gain to the Janata Party. They should have at least congratulated themselves that it was the emergency which had brought them into existence!

As I said in the beginning. I am very sincere, I want to be very honest to this new party, I want to be a democrat. So, better not this side or that side of the House condemn each other. Let us see what we can do for the nation. In unavoidable cases we may come into conflict or opposition. Let me quote a famous writer in this connection, who says: "Let your religion be seen; lamps do not talk, but they do shine; the lighthouse sounds no drums, it beats no gong, yet far over the waters its friendly light is seen by the mariners." I only hope that you give some benefit to the nation by your example. Whatever I or you may say is redundant or useless. I have tried to read volumes of the speeches of the former and present parliamentarians in the library, but the events in the country are moving so fast....

MR. CHAIRMAN: You have taken nearly 25 minutes. Please conclude.

SHRI L. K. DOLEY: This is my maiden speech and considering the importance of the subject, I should get one hour. Anyhow, I shall finish in five or six minutes.

Let me again say that I reserve my comments on the emergency. Please excuse me if I quote a song from a film:

यह क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ ?

अरे भाई, जब हुआ, तब हुआ ।

एमजेंसी आना नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया,

कब हुआ, यह मत पूछो, जब हुआ, तब हुआ।

This song may be considered as a little thing in the House today but let me recollect a saying that:

"Sometimes, when I consider what tremendous consequences come from little things, a chance-word, a pat on the shoulder or a penny dropped on a news-stand. I am tempted to think that they are not little things." From out of little things, great things come up. Therefore, this emergency has

brought about a change for which you should at least be grateful.

So far as the news and the press are concerned, really from my childhood, I advocated strongly for the freedom of the press and freedom of speech. But let us not forget that these things have happened during emergency and not during the normal course of our political life. So, it has happened in an unusual period. I feel regret at what has happened to the press during that period. I think it is the press which is the educator and base of great thinkers, intellectuals and political leaders. About press, I should like to think that it is easy in the world to live after the world's opinion; it is easy in the solitude to live after your own; but the great man is he, who in the midst of the crowd keeps with perfect sweetness independence of solitude." I had only hoped that the Press might look into this norm. I regret for what the press has suffered. But the time came in our history and it had happened. It came not arbitrarily but it came because it was in our Constitution. Then a man of the stature of Acharya Vinoba Bhave has commented while observing silence for one year, that an era of discipline, *annushashan parv*, has come. But during that period, the press has suffered a lot. It is the newspapers who are going to educate men like us and, therefore, the press has a great role to play. They are the defender and preserver of democracy. They have every right to remain independent for all times to come.

Shri Kanwarlal Gupta yesterday said:

आप अगर हिन्दी की ग्रामर को थोड़ा भूल जाएं तो मैं हिन्दी में कह सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि कमीशन में जो कुछ होगा, वह तो होगा ही लेकिन भगवान के कमीशन से कोई बच नहीं सकता। यह बात जब उन्होंने कही तो मुझे कुछ डर लगा। भगवान जो है वह केवल श्री कंवर लाल गुप्त

का ही नहीं है, वह तो हम सब का है। हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि जो, 20 प्वाइंट प्रोग्राम चलाया गया था जिस को आप लोग 420 कहते हैं, आपके लिए 20 प्वाइंट प्रोग्राम 420 हो सकता है लेकिन हम गरीबों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए, वह बहुत अच्छी बात थी। अब जनता सरकार के आने के बाद से हम में डर आ गया है क्योंकि लैण्ड ग्रैबिंग हो रहा है और आप का जो बोर्डेड लेवर है।

They have suffered under the torture of mahajans and landlords. At the moment, there is a feeling that the Government for the Scheduled Castes and Tribes and the down-trodden has gone. At any time, the danger might crop up. There are reports coming from throughout the country that their position has become shaky. I may be wrong. But that is the impression and the psychology of the people today. Therefore, there has been a massive reaction against the Janata Party. I am not saying that it is going in our favour. But the people are disillusioned with the Janata Party.

I started by quoting and let me conclude by quoting. I quote: "A private opinion is weak. But a public opinion is almost omnipotent. A single snow-flake—who cares for that? But a whole day of snow-flakes drifting, over everything obliterating landmarks, gathering on the mountains to crush in avalanches—who does not care for that?"

There has been a public opinion developing against the Janata Party throughout the country. There has been a massive reaction against the Janata Government. I would like to caution you. Be careful about it. We had great expectations from you. Please do not look backward but look forward. I again quote: "There are those who never reason what they should do but on what they have done as if reason had her eyes behind and

[Shri L. K. Doley]

could see only backward. We are not for looking backward; we are for looking forward. Let the Janata Government give us guidance and go ahead. Today, it may be the Janata Government; tomorrow, it may be the Congress Government. That is the practice of democracy. There is so much criticism about the Congress now.

तीस साल तक कांग्रेस कुर्सी पर बैठी थी
लेकिन आज कांग्रेस खड़ी है ।

There is a saying in America: "An American cities are prosperous only because there is no place to sit down." I am happy that the Congress is not sitting but standing. It has become stronger and it will prosper.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Mr. Chairman, Sir, I am both happy and sad at this opportunity of participating in this discussion on the subject of misuse of mass media by the then Government during Emergency, a subject which is both grotesque and gruesome because not many parallels are available in the history of democratic world when such vast powers were used in such shameless and unlimited manner, exploiting the ignorant and the people in a country like ours. It also means that the mass media was pressurised and persecuted and a blatant use of power was exercised by the then Government.

I am glad that my hon. friend, Shri Bedabrata Barua, made a very good speech yesterday and, at one point, he said that they are now in favour of collective wisdom in the Congress party. It is good to see that collective cowardice has been replaced by collective wisdom. That is a good beginning. What happened to the Congress friends, to many people and intellectuals at that time that they could not get out of Parliament and speak out. They could not speak both inside Parliament and outside. It is better late than never.

This discussion has been somewhat truncated because some water has passed through the bridge over the Jamuna river. Since the last Budget session, the Shah Commission's proceedings have come and they have revealed to an unprecedented extent the kind of damage which democracy can do to itself and to its people.

If mass media and communications of the modern world are abused and misused all the time—and that is what they did in a sense that those findings or those revelations which are before the Shah Commission are more than adequate proof—if evidence is required for anybody to understand that mass media was damagingly used, then that nightmare still counts us as it were. Therefore, let us take a pledge today, while we are discussing this important subject, that we will never do it not only now but for all the time to come, whether this government or that government. I say this as a friendly warning because the Janata Government may also be tempted openly or cowardly to utilise and use some of the advantages and some of the vast powers that are available to Government then by 'talking in terms of giving' a message to the whole world and in the countryside etc. Therefore, my point is whether there is emergency, dictatorship, arbitrariness and one womanship (later on one manship and then combined one manship and one womanship—they never knew which time one manship was prevailing over one womanship or vice-versa), let us take a lesson out of the whole thing and that lesson is that in no democratic country can you ever hope to have a Minister of Information and Broadcasting. I have nothing to say about Mr. Advani. I am quite sure he will fit in any portfolio; he is competent enough to get any portfolio and discharge his duties creditably. I do not want him to become a Minister less in the Cabinet, but I want to see a day when there is no Minister for Information and Broadcasting in a democratic set up because the mass media must never be controlled by

the Government, must never be in the hands of Government. Once they are in the hands of the Government, even if it is a democracy, they will be tempted to use it for their party ends, for their political ends and for their individual ends. Often it happens that the Minister of Information becomes a Minister of mis-information, a Minister for misleading the nation, giving false ideas and making false propaganda. You will find that only in fascism, only in dictatorship, only in a military type of government where mass media is controlled tightly and totally into one or two hands.

Therefore, I feel that the time has come in our country when we must think in terms of giving, not giving, but enabling the mass media communications to effectively function in such a manner that Government's interference is there only to regulate the excesses. Government's interference is there only to help in terms of finance; Government does not dominate much less control. If that is so, then I would say the sooner it is scrapped (the Minister for Information and Broadcasting) the better it will be for us, for the democratic set up of the whole country.

As I said, during the emergency, there was mis-information and one way traffic. This White Paper which of course is good on paper, reveals very little—I have no time to go into detail—if you see its preface you will find what sentence you have put there. It says:

“The new Minister (meaning V.C. Shukla) established strict personal control over the functioning of various media units of the Ministry. He inducted two or three officers of his own choice into the Ministry.”

This is a very simple way of talking about the most difficult and dangerous phenomenon that took place. I can give marks to the Government for talking politely. But they could have come out, in such an official document openly and fully that the Minister of

Information and Broadcasting Mr. V. C. Shukla was having his own *darbar*. Why should they say two or three? There are many. Why not name them? This document is incomplete because it is shy of naming many guilty people. It is also important to say openly and candidly that this document is inadequate because it is partly, if not fully, prepared by the officers who are themselves guilty of the charges of misusing and abusing the mass media. How can therefore you have this document as a White Paper document impartially and truthfully complete document when the people themselves who prepared the whole thing are charged with guilt?

Then there is a Dass Commission's Report. I have nothing against it. It is good, so far as it goes. What Mr. Advani says in his White Paper is this: “Some other material as well available to Government.” It is not available to us; it is not available to parliament; it is not available to the country. It is available to the Government. Why not make the whole thing available to the country at large? The truth must come out. Ever since we became independent, we have got a motto.

The truth alone shall triumph. If truth alone shall triumph, then we see today that no stone is left unturned to bring out the truth. Let this document be voluminous; let there be 20 volumes or 30 volumes. It does not matter very much. But the important thing is that these 20 volumes must contain the entire truth of the matter including the guilt of the officials of the Ministry of Information and Broadcasting, whosoever they are. I am not a person who is given to making personal attacks, attacking this person or that person. The individuals who are guilty should be brought to books; they must be made responsible for the guilt and they must pay the penalty for that guilt, namely, they must get out of the whole thing.

[Prof. P. G. Mavalankar]

This document reveals half the things and conceals half the things. Apart from this, I would ask pointedly why this White Paper does not mention anything about the change-over from Mr. Gujral's ministership to Mr. Vidya Charan Shukla's ministership. The document only says that one day, on 25th June, Mr. Gujral ceased to be the Minister and Mr. Vidya Charan Shukla became the Minister. How did it happen? Why does this White Paper not give the evidence of Mr. Gujral in this regard? Was Mr. Gujral taken into confidence? Was he invited to give evidence, to say for what reasons, according to him, he was removed from that Ministry? Maybe, it was because the young boy, the rising Sun, which fortunately faded very quickly tried to boss over and Mr. Gujral had to pay the price. The White Paper does not mention those facts at all.

Then I come to accreditations. The accreditations of over 50 senior journalists were cancelled; among them, there were men like Mr. Raghavan of PTI and Mr. Chandrakant Shah, Special Correspondent of Gujarat Samachar, Ahmedabad, my home city. I need not give all the names. I know they are all upright, honest and fearless reporters who were reporting the proceedings of Parliament. Their accreditations were cancelled. The worst part of it was, the shame of the whole thing was, Mr. Inderjit, who was Secretary of the Lok Sabha Press Gallery Committee, a committee nominated by the Speaker himself, was also not allowed to come into Parliament. One could not have thought of a much worse or more atrocious way of abusing Parliament's privilege. It is the privilege of Parliament to see to it that this Gallery is meant only for independent reporters giving out whatever they think important and not who speaks and what. That must go to the whole country. The whole country wants to know what the Parliament thinks, what happens in this

august House. Therefore, my point is that Parliament's dignity was destroyed, its prestige was made fun of. Even the speaker was completely sidetracked. An atmosphere of terror and falsehood was created and spread by Mr. Vidya Charan Shukla and his *Darbar*. As I have said, '*Satyameva Jayate*' motto was made a non-sense. Mr. Vidya Charan Shukla was the star performer from 27th June, 1975 to 18th January, 1977; and during this Emergency period, Mr. Vidya Charan Shukla and his *Darbar* were giving out blatant falsehood, one after another, in billions; one does not know how many misdeeds and falsehoods they committed on this good country of ours. But the White Paper does not give all these facts. I want the Minister to tell us why the White Paper is shy of giving all the names and facts, why it gives only some of the things and leaves out or conceals some.

Lastly, I want to say that Mr. Vidya Charan Shukla, during Emergency, said: 'from now on, there are no two sides; there is only one side,' 'and that was the Congress Party, not even the Congress Party, the caucus; not even the caucus, the woman, not even the woman, perhaps the boy.' This is how it was misused and abused. I want to tell you, Sir, this has happened only in a fascist regime, in an undemocratic regime.

Look at the All India Radio. It was not only 'All India Radio'; the radio was so bad that many times during the Emergency after making a speech in Parliament totally opposing the Emergency when I went back I found that nothing came on the radio, not even the fact that I spoke. Not to speak of mentioning what I had spoken, even the fact that I spoke was not mentioned. I was so angry that I felt like destroying my transistor radio, but realising that it was my transistor radio—which I had bought—I restrained myself. It was so bad so wretched. It was a helpless and hopeless situation. The radio was misused; the press was misused. There

was total censorship on the radio. Mr. Babubhai Patel, the Chief Minister of my State, wanted to pay tributes to Sardar Vallabhai Patel, and Mr. Vidya Charan Shukla said: 'Mr. Babubhai Patel, you cannot make a speech unless you give us first the script. 'What do you want the script for' Mr. Patel asked. The point is, he was not allowed to make a speech. This was how Mr. Vidya Charan Shukla's regime went on. In the TV, only Indira and Sanjay went through the channel all the time.

Therefore, I want to conclude by saying that the misuse of mass media was wrong and dangerous, because it did everything to twist the truth and did everything to suppress facts. Lord Giles (?) once said 'We all need facts, facts and facts: only when facts are there people can know the truth'. That is what Mahatma Gandhi said and that is what Jawaharlal Nehru said—whom we remembered only yesterday on his birthday. But, while truth was important, mass media was used only to make truth a non-entity. High Court decisions were removed and Press censorship made rude and crude attacks on the independence of the Press. Vinoba's 'Maitri' was attacked, I am told. And what happened to Gandhiji's Navjivan Press in my own city of Ahmedabad? I am ashamed to tell you that Mahatma Gandhi's press was locked for more than one week. We all opposed it but they never supported us: where were they at that time? The extent to which their shamelessness went is of an unimaginable character: they even prepared an obituary note for Jayaprakash Narayan to be sent to the Radio and the newspapers and Mr. V. C. Shukla read it and approved it—so that even after his supposed death nothing will go out which will praise him too much. That was the arrogance, that was the madness of those days.

So, the White Paper must see to it that whatever was written wrongly is brought out, and this Government under Advaniji or under the Prime Minister

Shri Morarji Desai, should take a pledge that they will never use the mass media for such hopelessly sectarian, Party or selfish purposes. Let us have a complete overhauling of the Broadcasting Ministry. If we do it, I am quite sure that the Press, the Radio, the Television and all other media like Films will be free. I say this because we cannot have an angled or part or partial White Paper. So, a comprehensive document is still awaited, even if it is voluminous, because we owe this not only to ourselves but to posterity and to democracy all over the world.

With these words I sit down.

श्री बुधराज (कटिहार) : सभापति महोदय, जो श्वेत-पत्र माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री महोदय ने पेश किया है वह बहुत ही उल्लेखनीय है। इस देश में जहाँ करोड़ों लोगों की कुरबानी के बाद हमें आजादी मिली थी, किस प्रकार प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग कर के एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया गया कि सारे देश में आतंक और भय का वातावरण बनाया गया।

जो श्वेत-पत्र माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, हमारे श्री मावलंकर जी ने ठीक ही कहा है कि वह सम्पूर्ण घटनाओं को प्रकाशित नहीं कर सका। मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में यह श्वेत-पत्र उस समय की स्थिति को प्रकट कर सका है? मैं उदाहरण देकर बताऊँगा कि यह एक महीने के अन्दर तैयार हुआ। 21 मई, 1977 को श्री के० के० दास की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। एक महीने के भीतर, जो सरकारी फाइलों में तथ्य थे, उनका यह संकलन-मात्र है। ऐसी और भी बहुत सी घटनाएँ हैं, जिन्हें मानवीय कहा जा सकता है, तफसील में जांच करने से सारी बातों का पता लग सकता था। ऐसी बात नहीं है कि घटनाक्रम से

[श्री: सुब्रह्मण्य]

यह रिपोर्ट पेज हुई है और इसी तरह से यह रट्टी की टोकरी में जायेगी। यह भारत के इतिहास में जायेगी कि किस तरह से 1975 में आपातकालीन स्थिति लागू हुई और उसके बाद लोगों की स्वतन्त्रता छीनी गई और प्रचार के माध्यमों का दुरुपयोग हुआ।

एक समय वह था कि हम अंग्रेजों से लड़ते थे इसी आजादी की बात को लेकर कि हमारी स्वतन्त्रता और अभिव्यक्ति बरकरार है। हम इसे वापस लाना चाहते थे और जब एक बार स्वतन्त्रता आई तो फिर इस देश की नेत्री ने, क्लिनके परिवार का एक उज्ज्वल इतिहास रहा है, उन्होंने किस तरह से प्रचार के माध्यमों का दुरुपयोग कर के इस देश में आतंक का वातावरण पैदा किया।

मैं आप का ध्यान इस श्वेत-पत्र के पृष्ठ 24 और 25 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बताया गया है कि उस समय के सूचना और प्रसारण मंत्री ने 1 जनवरी, 1976 को संसद की कार्यवाही की सेंसरशिप के लिए दोनों सदन के सभापतियों की अनुमति प्राप्त करने के लिए श्री रघुरामैया को पत्र लिखा था। इस बारे में बाद में क्या हुआ, इसका कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। प्रचार-माध्यमों के दुरुपयोग की जांच करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसे इस बात का पता लगाना चाहिए था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद संसद् भवन में एक कमरा सेंसर के लिए दे दिया गया। वह कमरा किस की इजाजत से दिया गया, इस सम्बन्ध में भी कोई तथ्य जांच समिति द्वारा नहीं दिये गये हैं।

आपातकाल के दौरान आचर अधिकाधिकारियों ने बम्बई के आलीशान फ्लैटों पर छापे भारे और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति

वराम रूई। समाचार-पत्रों में इस सम्बन्ध में समाचार छपने रहे, जिन में सब विवरण बड़े विस्तार से दिया जाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन समाचारों का छपना बन्द हो गया। कहा जाता है कि करोड़ों रुपयों पर यह सौदा तय हुआ। इस बात का कोई पता नहीं लगा कि उन फ्लैटों में करोड़ों रुपयों की जो सम्पत्ति पाई गई, उसका क्या हुआ और अपराधियों को क्या सजा दी गई। इस श्वेत-पत्र में इस की कोई चर्चा नहीं है।

इस लिए मैं माननीय सदस्यों की इस भावना से सहमत हूँ कि यह श्वेत पत्र अधूरा है, अपूर्ण है। हिन्दुस्तान की बुद्धिजीवी जनता, परिवर्तन की आकांक्षा रखने वाले नौजवानों, पत्रकारों और दूसरे आजाद विचारों वाले लोगों पर किस तरह से कातिलाना हमला किय गया, उन्हें किस तरह से आतंकित किया गया और समाचार-पत्रों पर किस तरह रोक लगा दी गई, इन तमाम तथ्यों का एक संग्रह होना चाहिए था। जो भी हो, इस रिपोर्ट में प्रचार-माध्यमों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कुछ तथ्य दिये गये हैं।

16 hrs.

[SHRI DEIRENDRANATH BASU in the Chair.]

आपातस्थिति की घोषणा के एक मास बाद, 26 जुलाई, 1975 को, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रचार-माध्यमों के सम्बन्ध में स्वयं ही एक व्यापक नीति निर्धारित की। प्रेस कौंसिल को समाप्त कर दिया गया। सब समाचार एजेन्सियों को मिला कर एक एजेन्सी बना दी गयी पत्रकारों को मकान देने की मुविधा वापस ली गई। जो विदेशी पत्रकार सरकार के

शालत कामों में साथ नहीं दे रहे थे, जो सही खबरों को बाहर भेजना चाहते थे, उन्हें इस देश से बाहर निकाल दिया गया। देश के प्रचार माध्यमों का ऐसा दुरुपयोग हुआ जिस की प्रजातन्त्रीय देश में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन जो प्रचार के साधन थे उन्हें व्यक्ति पूजा का साधन बना दिया गया, यह जान कर बड़ी तकलीफ होती है। इस देश की आजादी किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं आई थी, इस देश की आजादी करोड़ों लोगों ने लड़ कर जीती थी। लेकिन अपनी गद्दी की बरकरार रखने के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री ने जिस तरह प्रचार के माध्यमों का दुरुपयोग किया, मैं समझता हूँ उस के लिए जनता पार्टी की सरकार को कुछ और कार्यवाही करने की आवश्यकता थी। केवल रिपोर्ट पेश करने से संतोष नहीं हो सकता है। जनता को संतोष तभी हो सकता है जब इंदिरा जी को सजा दी जाय। मैं इस सदन में निर्वाचित हो कर आया हूँ, लेकिन निखिल चक्रवर्ती, कुलदीप नैयर और सुन्दर राजन जैसे पत्रकारों और ऐसे तमाम लोगों को जेलों में रहना पड़ा, उन्हें तंग किया गया, पुलिस ने उन को जलील किया। इतना ही नहीं, इस भ्रान्दोलन में जो लोग जेलों में थे उन्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। हजारीबाग सेंट्रल जेल में जो लोग हास्पिटल में थे, रोगी थे, उन पर लाठी चार्ज हुआ और वह समाचार भी नहीं निकला। तमाम जेलों में जो दवा के बिना और उचित सुविधा के बिना लोग परेशान थे उस का कहीं कोई समाचार नहीं निकल पाता था। लाठी चली, गोली चली लेकिन इन तमाम समाचारों के प्रकाशन पर रोक थी। इस तरह का इंदिरा जी का राज चल रहा था। दूसरे देशों में भी, इटली में, जर्मनी में जहाँ-जहाँ भी एमजेंसी लगी थी क्या कहीं तमाम समाचारों के प्रकाशन पर रोक लगी थी? क्या कहीं तमाम समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगाया

गया था? सेंसर था, उसकी कोई मर्यादा थी। लेकिन यहाँ तमाम पत्रकारों को जेल में डालना और तमाम समाचार पत्रों के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा देना, यहाँ तक न्यायालयों से जो जजमेंट दिया उस पर भी सेंसर लगा दिया गया, संसद् की कार्यवाही पर भी सेंसर किया गया, किस देश में ऐसी घटना घटी? हिटलर और मुसोलिमी की चर्चा हम करते हैं लेकिन क्या ऐसी घटना दुनिया के किसी देश में हुई कि हम एक तरफ संसद् की सार्व-भौमिकता का ढोल पीटते थे और दूसरी तरफ उसी संसद् की ध्वजियाँ उसी संसद् में बैठ कर उड़ा रहे थे, ऐसी घटना और कहीं नहीं घटी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि तत्कालीन प्रधान मंत्री ने जिस तरह प्रचार के माध्यमों का दुरुपयोग किया है उस की खूली अदालत में ट्रायल करने की जरूरत है। क्योंकि जो हमारे प्रचार का माध्यम है उस का आप कारपोरेशन बना दें, उस की स्वायत्तता को कायम रखने के लिए आप संविधान में स्थायी व्यवस्था कर दें यह तो ठीक है, लेकिन प्रचार के माध्यमों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। हम यह कहना चाहते हैं कि जिस ने इस देश के सैकड़ों लोगों की जान ले ली और प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग कर के सच्ची बातों को प्रकाशित नहीं होने दिया वह इंदिरा गांधी कातिल हैं जिन्होंने इस तरह की हालत पैदा की और निर्दोष लोगों को जेलों में बन्द कर के एक अरातक का राज पूरे देश में कायम किया। एक खुले ट्रायल की उस के लिए आवश्यकता थी, महज पत्र से काम नहीं चल सकता। जिस तरह कोई देशद्रोही देश के साथ द्रोह करता है तो उस की सुनवाई होती है और उस को फांसी दी जाती है उसी तरह उनके लिए भी जरूरत थी। केवल शाह कमीशन बना देने से या के० के० शाह दाम की कमेटी बना देने से जनता की भावना सन्तुष्ट नहीं हो

[श्री युवराज]

सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अदालत में खड़ी कर के उन की सुनवाई हो। जिस स्वतन्त्रता को हम ने लाखों लोगों की कुर्बानियों से हासिल की वह स्वतन्त्रता हमारी छीनी गई थी। एक ही जवाब उस का था कि हम उन्हें खड़ा करते और उन का ट्रायल करते और कानून और व्यवस्था की स्वतन्त्रता की, लोकतंत्र की और संविधान की जो हत्या उन्होंने की उसके अपराध में उन की सजा दी जाती। स्थायी व्यवस्था के लिए जरूरत है संविधान में ऐसा संशोधन करने की जिस में कोई भी सरकार हो वह प्रचार के माध्यमों का दुरुपयोग न कर सके। लोक सेवा के लिए, लोक चेतना के लिए समाज में प्रचार के माध्यमों की समुचित रूप से व्यवस्था हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): I was just now listening to the debate. No doubt, it was a very exciting debate. But I am sorry I may differ from you on the aspect of the way in which the debate is being conducted.

We are creating an impression that everything which happened in India in the dark days of emergency was the creation of a single or a few personalities. I do not believe in that. Every effect has a cause. Every shoot has a root. We are essentially believing in some ideals as Christians believe in trinity—father, son and a holy ghost. We are creating an impression that we are also believing in some un-holy trinity—mother, son and unholy caucus. But if you look a bit deep into it, is it a fact that all the Press went down to the whims of emergency and Indira Gandhi. I do not believe in it.

In jail we were reading all the papers. Many papers were praising Indira Gandhi and Sanjay Gandhi. But there were papers which were having a different view. I may take the name of the Economic and Political Weekly. In the very issue of the loopholes in the system. There were read a very scathing attack on the so-called socialist policies of the then Government. Why was it? Why all the big presses which are now shouting at the top of their voice succumbed but a single weekly paper—the Economic and Political Weekly did not. It was so, because that was owned by shamiksha trust of intellectuals having no business interest.

Indira Gandhi could become such an Indira Gandhi because there were loopholes in the system. There were certain weaknesses, the advantage of which was taken at that time. Unless and until the hold of the monopoly is smashed from the newspaper, we cannot expect to have the real freedom of the press.

I am having a journal from the Indian Federation of Working Journalists. In the very beginning of it, a quotation from Pandit Jawahar Lal Nehru is given. It reads:

“Freedom of Press usually means non-interference by Government. But there is such a thing as interference by private interests. I am unable to understand how a small group represents the freedom of press.

The fact, if a big industry by itself owning a newspaper and owning chain of newspapers cannot be said to give the press a kind of freedom which the public should expect of it....”

I would like to bring to the notice of the House the Resolution of the Working Journalists:

“Changes in the ownership and management of the press controlled

by the big industrial houses are imperative and should be an integral part of the other changes in the socio-economic order that are in the offing in India. Working journalists do not believe in the Pedestrian theory at any cost."

Freedom of the press was very secretly and very finely denied also before the emergency and after the emergency. I would like to point out that lot of tears were shed for Kuldip Nayar and also for Frank Moraes and others. But I would like to state that even before the emergency there were cases of Vivekanand Mukhopadhyaya; there were cases of Pran Chopra; there were cases of Chaplakanta Bhattacharyya and many others. The Editors were always at the mercy of the owners and their economic interests.

I would now like to disclose a few interesting things. I wish to tell you about people who talk so much about the freedom of the press every time. For example, I can tell you this. Mr. N. Nanpuria, who later became the Editor of the Statesman, was at that time the Editor of the Times of India. He wrote a confidential letter to Jawaharlal Nehru. He was writing on the Times of India. This is what he wrote:

'Nevertheless, within these limits, —on matters ranging from recruitment, organisation of the library, certain aspects of coverage and directives to correspondents, to more fundamental affairs of policy, —he has not hesitated to interfere and issue directives.'

He was writing this about Mr. Shanti Prasad Jain, the Chairman of the Board of Directors of the Times of India.

We are hearing a lot about the sordid acts of Mr. V. C. Shukla and others many times. I have no sympathy for them. We also should have no sympathy with these Statesmen people who also did the same type of

2330 LS—11.

things in a more ruthless way. I would like to make a reference here to the book 'My Life' by Shri M. C. Setelwad. You know that Shri M. C. Setelwad was selected as Chairman of the Board of Trustees in the Statesman. In 1968, there was the United Front Government in West Bengal and these very people, these very angels of freedom, were shouting every morning and every evening about the freedom of the press but they did everything to control the press. They tried to control Shri Pran Chopra saying that he should not write like this or he should not write like that. At that time, you will be surprised to know, Sir, that the Chairman of the Board of Directors in the Statesman was no other person than Mr. Palkhiwala who is now very familiar and whom we are putting in very important post now. He was always talking of freedom of the press. What did these gentleman do? Mr. Palkhiwala had contacted Mr. Setelwad and he tried to persuade him either to restrain Mr. Pran Chopra from his activities or to dismiss him. But the Board of Trustees which included such eminent scholars like Mr. M. C. Setelwad and Mr. S. R. Das and others which considered the matter, did not find anything wrong in Pran Chopra's actions. But afterwards what they did was this. This Board of Directors met secretly and they passed a resolution by passing the Board of Trustees and in this way they sacked Pran Chopra. So, my point is this. It is not that only in emergency dark things happened. Dark things happened also before emergency and dark things will happen after emergency. But what is important is this. We must go to the root of it, we must find out where from these things are emerging, where from these things are starting and how they start acting and how they show their skin.

I wish to point out one more thing. Monopoly press was the real threat to the freedom of the press. Monopoly press has deeprooted economic

[Shri A. K. Roy]

interests, holding the things down and this is something which was discussed by Royal Commission.

In 1947, under the auspices of the Labour Department, the Royal Commission was set up with the terms of reference the objective of which being the furtherance of the right of free expression of opinion given to the press and to help to function with the utmost practicable accuracy in the presentation of news and to keep control over the management and ownership of the newspapers, periodicals and news agencies including their financial structures and the monopolistic tendencies of the Press under control and to make recommendations thereof.

In this way, there was also a threat to the monopolistic control over the press. Similarly, in France, this move was there. In *Le Monde* paper 28 per cent of the shares was held by the working journalists. In this way, Japan has started. My point is this. Unless and until we hit at the root and unless and until we are ready to put the newspaper presses in their correct perspective, simply abusing some persons would not at all help anyone. For the last six months or so we have abused only a few persons and we cannot expect to pass the test of our time by abusing a few more persons or by catching a few of them. We must go deep into the very root. I do not like these people who succumb to pressure in hard times to suddenly become heroes in favourable times. In an unfavourable time they have no guts and they had no morals or ethics to publish everything that had happened. Mr. Chairman, I would like to tell you that this White Paper, with black papers, as some friends pointed out, is incomplete in facts. I also believe in that.

Therefore, I request the Hon. Minister to include more facts in that

White Paper and to circulate them within the country. This White Paper is also incomplete in not suggesting solutions. We will not get freedom simply by reverting to the pre-emergency state. We want real freedom in the correct sense of the term. In that way, I say this White Paper is incomplete. The White Paper may be complete only by suggesting the diffusion of the ownership of the entire news and by breaking the hold of the monopoly papers by compulsorily distributing the shares to the working journalists so that the real voice of the people can be heard through the press.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Mr. Chairman, Sir, it is the continuation of the discussion which we began in the last session. Last time, my colleague, Mr. Unni Krishnan had made a remarkable speech to which I hope the hon. Minister will reply while speaking. I do not want to repeat what all he said in his speech. I have of course nothing more to add or to criticise about the White Paper. I can only say in one sentence that what has happened in the past should not recur in future. It is true that the people of this country were unhappy after hearing the Radio and TV that the views expressed here were not projected properly. You might ask me as to what we were doing at that time. It is true that we could not do anything. That is why when Mr. Mavalankar said that we were cowards, I could not rebut his charge.

This should not have happened. I can only point out to my hon. friends that they should not allow these things to be repeated. To substantiate my allegation, I may here point out one example. In the States of Punjab and Haryana, many Congress leaders had been arrested and tortured; their statements had been recorded and they had been played back to

the newspaper correspondents and the Samachar carried that news. It is only an F.I.R. And statements were extracted from them by the police and they were played through the press by forces. Your government agency, the Samachar and the Radio broadcast it not only once but twice and thrice. Is it not a political blackmail. If they are convicted and it is broadcast then it is alright. I say that there is nothing wrong in the time being spent on the radio and television about the Shah Commission report. The people of the country must know what is happening but this is a case where I know that they have been tortured badly. The Secretary of the Pradesh Congress Committee was tortured, hanged up and down and rags were put inside his body. The police tried to kill him and a statement was extracted from him. They were tortured day and night. Now, my point is why Mr. Advani should become a party to it and broadcast this thing to the nation when it is known that these are extracted statements. It is not a statement made before the court. It is a statement extracted by the police. Is it not misuse of the mass media to broadcast it time and again?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): Is it A.I.R. or Samachar?

SHRI VAYALAR RAVI: Samachar carried it. I think A.I.R. also broadcast it once.

Now, take another example. I do not want to repeat it as the Home Minister has already admitted the mistake on the Floor of the House. It is about the so-called charge made against Mr. Vengal Rao, Chief Minister of Andhra Pradesh.

Then, Sir, I would like to say a few words about how the mass media was mis-used during the by-election of Mr. Antony in Kerala. The election campaign stops forty hours before

the actual voting. Now, my good friend, Mr. Chandra Shekhar issued a statement—he was forced to issue a statement—which was broadcast on the A.I.R. in Kerala. It was broadcast in the morning bulletin on the 21st, then in the 12 O'clock bulletin and also in the evening bulletin. I heard it myself. Then we six M.Ps sent a telegram that this is a gross violation of the election law. Now, what happens when people are going to the polling booths in the morning there is again a repetition of this statement on the All India Radio. Is it fair? Then what difference does it make between your regime and our regime? You will lose your moral right to point your finger towards me if you indulge in these things. Please correct it. I do not say that Mr. Advani is responsible for it but please correct this mistake.

Then, Sir, I felt sorry when I found that an attempt was being made to denigrate Shri Jawahar Lal Nehru. I am not going to make a speech on Jawahar Lal Nehru. Even though Mr. Advani may not agree with his political philosophy one cannot deny that Jawahar Lal Nehru made a lot of contribution to the Indian democracy. The Emergency might prove to have a monstrous effect on the Indian society but we cannot deny the fact... that Shri Jawaharlal Nehru has made the biggest contribution towards the sentiment and culture of democracy to our nation. Once upon a time, it was he who instilled into the veins of the people a feeling of democracy. And that is the reason why we have been rejected and you have been elected.

Sir, advertisements regarding the death anniversary of Shri Jawaharlal Nehru have been refused by some of the newspapers. Yesterday, that is, 14th, was the birth day of Shri Jawaharlal Nehru and there was a complete black out in the newspapers in regard to this celebration. There was an effort to show that Shri Jawaharlal Nehru had not done anything to this

[Shri Vayalar Ravi]

country. It is very unfortunate. I have nothing to say on this. As the Minister incharge of mass media, Shri L. K. Advani must look into this aspect. He should have a constructive approach to this problem.

Sir, as I understand—I am subject to correction—Shri Krishan Kant had made a statement which had appeared in the newspapers in Chandigarh and Delhi. His statement was regarding some criticisms on the RSS and its influence on the Janata Party. This statement has not been carried by Samachar. Sir, Mr. Unni Krishnan referred to one Mr. Aggarwal who had been first employed on honorary basis is now given salary. It is very well known that he is one of the Sixth in hierarchy of the RSS. Once it was controlled by the caucus. Can you allow this mass media institution being controlled by sakhas, by this kind of infiltration? Last month one editor joined the Samachar. No one knows his background. It is very dangerous to allow infiltration of such people in the mass media.

Now, Sir, you have dismantled the whole of Samachar. I have no comment to make. In regard to the financial control of the Samachar, can you give an assurance to this august House that the financial control of Samachar will not lead to any undue influence of the Government in favour of your party and against other political parties? I agree that the radio and TV must project the views of the Government. I have no quarrel. But at the same time it should not be used against other political parties. The news agencies should not be under your thumb. It should not be the sole monopoly of the ruling party. Yesterday Mr. Chandrappan highlighted many points. I do not want to go into them in detail. I agree with him on many points. Sir, I will therefore hope that Shri Advani with all his good intentions will make us feel that he is doing justice to other political parties and every section of the society.

श्री उपसेन (देवरिया) : सभापति महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग के ऊपर, आपातकालीन स्थिति के दौरान, जो श्वेतपत्र आदरणीय सदन के समक्ष रखा है उसके लिए मैं पहले उन को मुद्दारिकबाद देता हूँ।

उधर से और उधर से भी बहुत सी बातें कही गई हैं। मैं उन को दोहराना नहीं चाहता हूँ। यह सदन की परम्परा नहीं है कि उन्हीं बातों को दुबारा सदन के समक्ष रखा जाए और सदन का समय नष्ट किया जाए। ऐसा करना प्रक्रिया सम्बन्धी नियम हैं उन के विरुद्ध जाना होगा।

मेरे मित्र और किसी समय के मेरे साथी श्री रवि श्री बोल रहे थे। उन के भाषण को सुनने का मेरे मन पर यह असर हुआ, मुझे यह एहसास हुआ कि अगर जिस तरह से आज वह बोले हैं उस से आधा भी, पचास फी सदी भी उस समय बोले होते तो शायद मेरे जैसे लोगों की जो उस समय जेलों में सड़ रहे थे बहुत भलाई की होती और शायद हमारी भी आवाज उन के जरिये शासकों तक पहुंच जाती। मगर हम क्या कहे? बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हमी सो गये दास्तां कहते कहते।" माननीय रवि जी नवजवान हैं, आपकी मोहतरमा मलिका-आजम जो नं० 1 सफ़दरजंग रोड पर रहती थीं उन की आवाज को हम जेलों की बैरकों में अखबारों में पढ़ते थे और जो विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने सदन में इमरजेंसी के दौरान भाषण किये वह हमारे जनसंघ के किसी साथी द्वारा निकाला गया। उर्जैन का पत्र जेलों में पहुंचता था और उसी से हम को सूचनायें मिलती थीं; मैं यहां धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सोशललिस्ट के इंटरनेशनल मेम्बरों को, ऐमनेस्टी इंटरनेशनल के साथियों को और फी जे० पी० मूवमेंट के साथियों को जो 'स्वराज्य' अखबार निकालते थे और हम लोगों को खबरें भेजते थे। इन

के अलावा बी० बी० सी०, वायस ब्राफ़ अमरीका, आदि तमाम सूचना प्रसारण के माध्यमों से हमारी मुसीबतों को थोड़े-थोड़े शब्दों में मामूली हैड लाइन्स के जरिये दुनिया में पहुंचाते थे।

मान्यवर, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, आप सम्भवतः रहे हों, आप जानते हैं कि जो जितना दबाया जाता है वह उतना ही उछलता है। तो ज्यों ज्यों हमारी आवाज दबायी गई वह उतने ही जोर से ऊपर आयी। प्रचार के तमाम साधनों का, आकाशवाणी और टी० वी० का उन्होंने मुंह बन्द किया। और जो सब मे बड़ा पाप किया मोहतरमाने, मैं आज कहना चाहता हूँ कि पता नहीं फिर मुझ को कहने का मौका लगे कि नहीं। वह यह कि भारतीय परम्परा के इतिहास और जनतंत्र के सिद्धान्त की अवहेलना कर के हमारी जबान काट ली। लोगों की जबान का आदर नहीं किया, भारत की 60 करोड़ जनता की जबान काटी, और आकाशवाणी, टी० वी० का प्रयोग उन्होंने अपने लिए ही किया। एक पिकचर बनाई गई जिसका नाम था "दि प्राइम मिनिस्टर"। 10 लाख रु० में वह पिकचर बनी।

और मैं उत्तर प्रदेश का बताऊँ राजकुमार गये सुल्तानपुर में दौरा हुआ और माननीय नारायण दत्त तिवारी भी उनके साथ गये जो मुख्य मंत्री थे। किसी जमाने में जब मैं सोशलिस्ट पार्टी का नेता था तो वह मेरे पीछे बैठते थे, "ये इनक्लावे गरदिशे दौरा तो देखिये, मंजिल मिले उन्हें जो शरीके सफर न थे"। खुद इधर थे उधर चले गये और मुख्य मंत्री बन गये। तो वह भी उस दौर में गये। टी० वी० सैट अन था। राजकुमार की बनारस में एक चप्पल छूट गई जिस को मुख्य मंत्री हाथ में ले कर दौड़े जो कि टी० वी० पर आ गया। तो टी० वी० का

इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ नहीं हुआ, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी, के खिलाफ भी हुआ। मैंने बन्द में कहा कि तुमने हाथ में चप्पल क्यों ली? तो वह हंस गये, बोले नहीं। कहने लगे मैं नहीं जानता था कि टी० वी० कैमरा लगा हुआ है।

जैसा माननीय रवि जी ने कहा, आज का सवाल नहीं है, अगर आज का सवाल है तो मैं कहने के लिये तैयार हूँ कि हमारे प्रचार माध्यमों का कोई भी अधिकारी, एम० पी०, कोई भी मंत्री गलत प्रयोग न करे। जनतंत्र का सिद्धान्त क्या है? यही नहीं है कि जनता के साथ न्याय किया जाय, बल्कि सब मे बड़ा सिद्धान्त यह है कि जब जनतंत्र पद्धतियों में सरकारें जनता के साथ न्याय करें तो उसका जनता को ही ऐहसास हो कि हमारे साथ न्याय किया जा रहा है। ऐसा न समझिये कि मैं इस श्वेतपत्र का समर्थन कर रहा हूँ तो कल अगर किसी मंत्री के बेटे बेटी की शादी टी० वी० पर आ जाये और एक कार्यकर्ता की लाश निकल जाय, कल हो जाय और आकाशवाणी पर उस बारे में एक लाइन भी न आये, उसका मैं समर्थन करने वाला नहीं हूँ। हमारा जो के० के० दास कमिशन बैठा, उस के सामने हजारों शिकायतें आईं। 217 शिकायतें समिति के विचार-क्षेत्र में आने वाली आईं जिस में 45 संसदरशिप प्रावधानों के दुहपयोग की, और पत्रकारों को तंग करने सम्बन्धी 103 और फिल्मों को प्रमाण-पत्र देने सम्बन्धी आरोप 8 तथा समाचार एजेंसियों सहित जन-सम्पर्क के माध्यमों का दुहपयोग 23 और अन्य संसद प्रसंग 38। इतना हो गया और फिर संसदरशिप लागू हो गया। इस्टर्न इंडियन स्ट, बीर अर्जन्त, प्रताप, सरिता, मुक्ता, संदेश, जन्मभूमि, भूमि पुत्र, साधना, देशाभिमानी, इंडियन एक्सप्रेस, सैमिनार, मेनस्ट्रीम, वसुमति,

[श्री उपसैन]

मुरासोली आदि सब, कोई, ऐसा प्रेस नहीं था जो सच की आवाज बोले और उस से बोलने दिया जाये। एस० एम० जोशी जैसे नेता के "साधना" पर भी लागू हो गया। यही नहीं हुआ विदेशों के पत्रकारों को भी एक-दम बाहर निकाल दिया गया। इस को मैं बहुत बुरा मानता हूँ। बहुत से पत्रकारों को निकाला, आप जरा मुलाहिजा-फरमायें —

1. श्री राबर्ट केविन रेफर्टी —
फाइनेन्शियल टाइम्स,
2. श्री मार्टिन बूलाकाट—
गार्डियन, लंदन
3. श्री टोनी क्लिफ्टन, —
न्यूजवीक, न्यूयार्क
4. श्री पीटर कालिन्स —
सी० बी० एस० न्यूज, न्यूयार्क,
5. श्री डनियन थार० सदरलैंड —
क्रिश्चियन साइन्स मोनिटर,
हांगकांग
6. श्री राबर्ट एलन तथरकन—
शिकागो डेली न्यूज ।

इस तरह करीब 29 पत्र थे, सैंडेटाइम्स के श्री ईग्रन जैक। इस तरह से करीब 29 विदेशी पत्रकारों को निकाल दिया गया। बी० बी० सी का दफ्तर बन्द कर दिया गया और ऐसा पर्दा डाला गया कि हिन्दुस्तान का कोई समाचार बाहर न निकले।

हम लोग जेलों में बन्द थे घेरे घर से मेरी स्त्री नहीं आई, तो मैंने सबकुछ किया कि नजदीक घर है, क्यों नहीं आती? बहुत दिनों बाद पता चला कि उन्हें यह पता है कि हम जम्मू-काश्मीर की जेल में हैं। इस तरह से हद हो गई, क्या बोलते थे मोह क्या करते थे। महज

इन्दिरा गांधी, संजय गांधी, राहुल, मेनका, इन्हीं लोगों की बातें छपती थीं।

बहुआ साहब को देखिये, यह कहते थे इन्दिरा भारत है और एक दिन मज्जाक ले रहे थे अब इन्दिरा संसार बन गई है। कोई प्रचौर साधन ऐसा नहीं था कि जिसका इस्तेमाल हिन्दुस्तान को प्रधान मंत्री ने अपने लिये न किया हो।

सब से बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मैं उन से कहना चाहता हूँ कि आप इन्दिरा जी से पूछिये कि क्या आज उन्हें अफसोस है कि उन्होंने 19 महीने एमर्जेंसी के दौरान हम लोगों की 7 करोड़ की जबान काटकर जेलों में बन्द किया? उन्हें अफसोस नहीं है। मुझे बन्द आ गया, वारेन हेस्टिंग का ट्रायल हुआ हाउस आफ कामन्स में। फाक्स सैरिडन बड़े बड़े वक्ता थे, उन्होंने अवध की बेगमों के बारे में, बनारस और बंगाल की घटना के बारे में बहुत वहाँ हमले किये। ऐसा हुआ कि हाउस बन्द कर दिया स्पीकर साहब ने और मिसेज फाक्स वाज कैरिड इन स्ट्रुचर। वारेन हेस्टिंग ने अपनी डायरी में लिखा कि जब इतने हमले हुए — "वैन आई बिगैन टू डाउट, वैंदर आई कमिटेंड एनी रांग"। तब थोड़ा उन्हें संदेह हुआ कि अफसद हिन्दुस्तान में उन्होंने कुछ बलती थी। उन को तो थोड़ा संदेह भी हुआ, लेकिन हमारी मोहतरफ को जरा भी संदेह नहीं है। गिरफ्तारी के बाद हल्ला मच गया। हमारे यहाँ नारा लगाते थे कि आधी खोटी बायेंमें, इन्दिरा को लायेंमें। हम ने कहा कि ले जाइये, माला बनाकर पहनाइये, हम को कोई एतराज नहीं है। मगर सच यह है कि जब हम पकड़ें गये, कोई हम से बात नहीं कर सकता था। हम पर चार्ज लगा कि मैं बस स्टेशन पर बस फूंकने का आदेश दे रहा था। घर पर पकड़ा गया और जब बस स्टेशन के सामने लाया गया तो मैं पुलिस की गाड़ी से:

कूद गया और कहा कि जरूर भाषण करूंगा लेकिन मैंने कुछ भाषण नहीं किया, एक लाइन मोहतरमा की खिदमत में कही—

“हम तो प्यासे ही चले जायेंगे, लेकिन साकी इन्कलाब आके रहेगा तेरे मयखाने में” ।

इन्दिरा गांधी के मयखाने में प्याले से प्याले लड़ गये । पीने वाले भ्रमस में ही आज लड़ रहे हैं । कौन कितना पी गया, इसका हिसाब किताब बाद में होगा ।

आप न्यायालयों की हालत देखिये । प्रचार माध्यमों का जो दुरुपयोग हुआ, जो सैंसरशिप लागू हुई, उस के विरुद्ध कुछ मुकदमों में न्यायालय में दाखिल हुए । एक दो मुकदमों की एक दो लाइन यह देना चाहता हूँ । किसी जमाने के नेता श्री मीनू बसानी ने सैंसरशिप के लिये 11 लेख लिखे मगर उन पर सैंसर की पाबन्दी बगल दी गई और उस पर बम्बई हाई कोर्ट ने जो फैसला लिखा, उसका एक महत्वपूर्ण अंश में बदला चाहता हूँ ।

इस श्वेतपत्र में लिखा है: “न्याय-मूर्ति में पाबन्दी इस आधार पर रद्द कर दी कि सैंसर को प्रतिबन्ध लगाने का कोई कानूनी हक नहीं था और सैंसर आदेश के अन्तर्गत जो अधिकार लिए गए हैं, उन के क्षेत्र का उल्लंघन कर कार्रवाई की ।”

इसी प्रकार श्री सी० वेंकटा, सप्पादक “मूनिपुत्र”, बड़ौदा बनारस श्री विष्णु, मुख्य सैंसर अधिकारी के मामले में न्यायाधीश ने लिखा : “इस लिए लोक तंत्र में जनता का यह सुदृढ़ अधिकार है कि वह सरकारी नीतियों को परखे और इसलिये उन्हें यह भी हक है कि वे बतलायें कि सरकारी नीतियों में क्या गलतियाँ हैं, जिस से सरकार

उन्हें सुधार सके और यदि वह कहीं भटक गई है, तो अपने आप को सही दिशा में, मोड़ लें..... हम कोई गलती कर ही नहीं सकते, यह भाषना और लोकतंत्र दोनों साथ नहीं रह सकते । हाँ, तानाशाही में यह बात जरूर चल सकती है ।”

इव उद्धरणों से यह प्रकट हो जाता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को न्यायपालिका से भी कोई समर्थन नहीं मिला ।

प्रचार-माध्यमों का जो दुरुपयोग हुआ, उस की बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं । मैं उन में नहीं जाना चाहता हूँ । अब प्रश्न यह है कि आखिर होना क्या चाहिये । यह सही है कि के० के० दास कमेटी को हमारे प्रचार-माध्यमों के भावी गठन के विषय में कुछ लिखना चाहिये था । मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने एक समिति बिठा दी है, जो यह देख रही है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का भावी स्वरूप क्या हो, उन्हें कितनी स्वायत्तता दी जाये । मैं सम्झता हूँ कि बी० बी० सी०, लंदन, सी० बी० डी० कनेक्शन, एन० एच० के० जापान, और अस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड तथा फ्रांस के टेलिविज़न तथा रेडियो के प्रचार-माध्यमों का अध्ययन करने के बाद दो तीन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ।

एक तो आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायत्तता अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए । सरकार एकी हो या बी की, लेकिन उन के काम में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । इंग्लैंड में कभी कबज रेटिव पार्टी की सरकार आती है और कभी लेबर पार्टी की, लेकिन ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कॉर्पोरेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है । कामशल और रोजगार के मामलों में बहुत ही स्वायत्तता कोलम्बिया ब्राडकास्टिंग स्टेशन को भी है ।

[श्री उपसैन]

हां, सरकार की नीतियों के बारे में वायस आफ़ अमरीका से प्रसारण किया जाता है। ऐसी तरह हमारे देश में भी रेडियो तथा टेली-विज़न की स्वायत्तता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए।

मुझे पता है कि आकाशवाणी और दूर-दर्शन में अभी भी पुराने नौकरशाह बैठे हुए हैं। मुझे उन से कोई गिला नहीं है। आखिर वे भी हमारे परिवार में हैं। लेकिन उन्हें अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर और अपनी जात-बिरादरी कायम कर के इस माध्यम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी बन्दिश लगानी चाहिए कि नौकरशाही कम से कम पनपे।

आकाशवाणी, दूरदर्शन और फ़िल्मों के लिए जो कार्पोरेशन बने, उस में कर्म-चारियों, कलाकारों और प्रेस के लोगों का भी बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि उन्हें यह अहसास हो कि हम सरकार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने जनतंत्र की परम्परा के अनुसार देश के लिए काम कर रहे हैं।

इस श्वेत पत्र को यहां रखने के लिए मैं मंत्री "महोदय" को धन्यवाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन संस्थाओं में जो खामियां हैं, समिति की रिपोर्ट आने पर एक कानून के द्वारा उन्हें सुधार दिया जायेगा, ताकि यह याद रहे कि जनता पार्टी ने इन माध्यमों का अपने लिए दुरुपयोग नहीं किया। और एमजसी में कितने तो जल्म हुए हैं, कितनी ज्यादतियां हुई हैं, हम तो मीसा वाले हैं, हम तो मीसा बन्दी हैं, हम उन लोगों से नहीं हैं जो मीसा चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि मीसा किसी पर नहीं लगना चाहिए चाहे वह भिन्न-बिधा हो या ग्रेटर मीसा हो, चाहे

शेख साहब का मीसा हो या मध्य प्रदेश का मीसा हो, मीसा किसी पर नहीं लगना चाहिए। लेकिन जैसा हमारे बहुत से नेताओं ने कहा है कि जितने गुनाह हिन्दुस्तान की उस प्रधान मंत्री ने किए हैं वे उस के लिए काफी हैं और एक ही काम अगर कर दिया जाय मेरे ख्याल में कि कोई भी चुनाव उन को लड़ने के लिए अधिकार न हो, डी-फ़ीचाइज कर दी जाय, अभी डी-फ़ीचाइज कर दी जाय तो यह सब मामला ठीक हो जायगा। हिन्दुस्तान की राजनीति को वह दूषित नहीं बना सकती। जितने अधिकारियों का, जितने लोगों का उन्होंने दुरुपयोग किया है, जितने लोगों को तबाह किया गया है उन सब को देखने से साफ़ मालम होता है कि हिन्दुस्तान का कोई भी प्रधान मंत्री ऐसा नहीं हुआ है जिस ने अपनी सत्ता का, अपने गौरव और गरिमा का, अपने पद का इतना दुरुपयोग किया हो जितना मोहतरमा ने किया।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कानून बनाया जाय और ऐसा उदाहरण आप पेश करें दण्ड व्यवस्था प्रक्रिया चालू कर के कि अगली किसी भी सरकार की या किसी भी व्यक्ति की हिम्मत न पड़े कि वह इस तरह से प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग करे।

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): Mr. Chairman, Sir, I am happy that at the last moment I have the opportunity to speak. I thank the Minister for the expeditious steps he has taken in bringing out this White Paper. I would like to agree with my friend, Prof. Mavalankar, who is here, that we should see that a more comprehensive report is brought out.

The Government, the Ministry and the officers have been careful not to disclose everything. But we ourselves

and the country would like to know everything. Let the people know everything. I would also join my friend, Mr. Vayalar Ravi, who expressed his profound sense of sorrow immediately after Prof. Mavalankar spoke. He admitted that he had not been able to protest during the time of Emergency and at the same time he cautioned us, and I believe we should accept what he said that we should see that no such thing will ever take place.

I would mention one point here. While we were possibly attending the second Session of this Lok Sabha, something happened in the "Indian Express". Mr. Narasimhan, without any notice, just received a letter one afternoon and he was asked therein not to come the next day. We have to be cautious and if the Government is reasonable and if the Government is conceding human rights and human dignity, we should also see that the big business houses and monopoly houses should not be given similar powers to strangle journalists and create difficulties for them in expressing themselves.

Mr. Chairman, Sir, all my friends—because I have listened to everybody—have mentioned various incidents happening in different parts of the country. I would like to lay emphasis on small journals. Take the case of 'Assam Tribune', from the standpoint of the region and the population served by this paper. It serves nearly six States—Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh etc. On page 5 of the White Paper, it is stated:

"In the case of *Assam Tribune* the DAVP drastically reduced the quantum of advertisements to this paper in August 1975...."

I am not quoting everything in order to save time. In the same paragraph the last sentence reads as follows:

"The management was also pressurised to remove Shri Satish Chander Kakati from the Editorship of this paper."

This was the result of some tussle going on between Mr. Kakati and Mr. Deo Kant Borooah because he could not agree with the former Congress President. Again, a small newspaper, *Dainik Sambad*, was published from Agartala. It is mentioned about this in a small paragraph on page 4 of the White Paper. I would like to relate the sad plight of the editor of a small newspaper working from a corner of India. Mr. Bhupen Dutta Bhaumik was arrested on 1st August, 1975 and released on 17th February, 1977. Why was he arrested? He was arrested for the publication of a news item which was pre-censored. Mr. Baji was the PIO at that time. The matter which was published in his paper on 27th November, was pre-censored and approved. The same item appeared in the Calcutta "Statesman" on the 28th i.e., the following day. The paper was prescribed by the Government of Tripura on the 28th November. They did not stop there. They ejected the family of Mr. Bipin Dutta Bhowmick. They closed down all their businesses; not only the printing press. The printing press was used not only for printing *Dainik Sambad*, but also for printing some job works. All the advertisements were stopped. And something more also happened. A case was instituted in the Gauhati High Court. The Gauhati High Court quashed the government order on the 22nd December. But the Tripura Government had the temerity to ignore this High Court order. They vacated the order as if on their own on 22nd December without mentioning the High Court order. Here was a case of contempt of court.

I draw the attention of the Minister to this, for him to see that such things never happened in future. How can it be ensured unless we take steps against the offending persons? And offenders are all around. They are in all the government departments. They are getting mixed up with good officers. I know there are many good officers who will help us in implementing Government's policies; but I

[Prof. Dilip Chakravarty] also know that there are officers and men who are out to discredit and who are out not to implement Government's policies, but to create difficulties.

I will mention only a few instances with regard to the All India Radio, Calcutta. I mentioned them in this House in the first session. Poet Tagore's poems were stopped from being recited on the Calcutta AIR. One of the songs thus stopped was "Yadi Tor Dak Sune Kew Na Ase Tabe Ekla Chalo Re". It was a favourite song of Mahatma Gandhi.

There was one station director who was transferred; but even in our own regime he has staged a come-back. I am not naming him, just out of compassion, because he is not here. He has staged a come-back with promotion. He is the key person who steered the propaganda for the 20-point programme of Indira Gandhi. There was another classical music producer. The gentleman is still there. He was given the appointment by Mr. V. C. Shukla without his having the minimum qualifications. They are still there. Another person is a staff artiste. He was appointed without an interview. Why? He was one of those who joined in the chorus "Asiar Mukti Surya Indira Gandhi." He was an adept in the art of giving slogans and all that. There is another group of persons. I will name them. They are Messrs. Nirmal Sengupta, Pranabesh Sen and Sekhar Sarkar. All of them were in the editorial rank. They still occupy those posts. They used to write scripts praising the 20-point programme, Indira Gandhi and her son; and vilifying Jaya Prakash Narain. All of them presented views and features in the programme entitled 'Sameeksha'. On many occasions, Jaya Prakash Narain was alleged as being responsible for L. N. Mishra's death. I consider this to be a heinous crime. I don't consider it to be a crime to propagate the 20-point programme, if one feels like it. We should have the freedom to do that. But if one puts a person in jail and terms him as

being responsible for killing L. N. Mishra, it is unbearable. I never expected anything different from this hon. lady, Indira Gandhi.

My hon. friend, Shri Murli Manohar Joshi, in his speech yesterday made a statement about Asian Films and TVNF. I believe he was not correctly informed. There is a report with the Minister dated 7th June 1977, which has established that there is nothing absolutely wrong with the dealings of the Asian Films and TVNF. Since a member of my own party is misinformed, I would like the hon. Minister to comment on his statement about Asian Films and TVNF.

Lastly, under the instructions of the former Minister, Shri Vidya Charan Shukla, the speeches of the former Prime Minister were printed in so many languages. Cutting across the previous traditions, it was arranged that simultaneously Shrimati Indira Gandhi would be in receipt of royalty for these publications. I would like to request the Minister to make a statement specifically on this point why it was allowed to happen.

SHRI K. MALLANNA (Chitradurga): Mr. Chairman, Sir, I have heard the speeches of hon. Members on both sides. Some hon. Members used this document to criticise the previous Government while some others used it to praise the present Government. But, according to me, this is a partial report. It has not depicted the correct picture; it has only referred to the misuse of the mass media. So, I would request the Central Government, headed by the Janata Party, to look into the other aspects of this media which depicted the other facets of the emergency. The report has indulged only in abusing Shrimati Indira Gandhi and Shri Sanjay Gandhi and the emergency. Of course, I do not want to defend what has happened in the emergency. I do agree that excesses have been committed and we feel sorry for it. We have been punished by the people. That is why we are on this side. But, at the same

time, I would request the Central Government to look into the economic aspect during the period of the emergency.

There was increase in both industrial and agricultural production. There were no strikes or lock-outs and there was discipline in the country. Economic offenders like hoarders and smugglers, who were responsible for price rise and inflation in the country, were punished. But these aspects have not been depicted in the White Paper. That is why I say it is a politically-motivated paper, which paints only the posture of the Janata Government. Of course, I do not deny or defend what happened during the emergency. I am sorry for it. I request the Central Government not to follow this pattern, this procedure.

17 hrs.

Now, what is happening in A. I. R.? The RSS and the Jana Sangh people have infiltrated into the A.I.R., and they are propagating their own ideas, ideals and programmes. The Janata Party consists of four elements, but the A.I.R. is dominated by the RSS and the Jana Sangh people. They are not giving prominence even to the hon. Prime Minister, but only to Mr. Vajpayee, the Minister of External Affairs, and Mr. Advani, the Minister of information and Broadcasting, who belonged to the Jana Sangh. The other elements of the Janata Party are not given any importance, let alone the opposition or its views.

For example, when the former Prime Minister toured Karnataka, lakhs of people gathered, but the A.I.R. did not mention it, it simply made much of a small incident that took place. This is how the A.I.R. is working.

The Central Government is indulging in commission-making and foisting allegations on the leaders of the Congress. Let there be a commission to eradicate political corruption, but let it apply to all, because even on the

other side there are people who are corrupt. What about Mr. Biju Patnaik, what about Mr. Badal? They are not conducting any enquiry into their affairs, but they are appointing commissions and foisting false statements on the Congress leaders, and the A. I. R. is making much of these commissions. I request the hon. Minister of Information and Broadcasting to see that A. I. R. is not biased, is not prejudiced.

Though censorship has been removed, is the press free today? No it is not a free press. *Samachar* is to be split into its former units, but they are being subsidised, and they are under an obligation to this Government. Press people have been threatened by the Government to toe their line, to act according to their directions. One of the Editors wanted to write the history of a Congress leader; he was threatened. So, it is not a free press.

SHRI L. K. DOLEY: Earlier, an emergency was declared. Now an undeclared emergency is going on.

SHRI K. MALLANNA: So, the All India Radio and the press are not acting properly. They are prejudicial. The White Paper has said nothing about the *Indian Express* and the *Statesman* which represent the monopoly houses. It has said nothing about other papers. Then, how is this paper complete? It is painted to suit the guidelines of the Janata Party and the Central Government headed by Janata Party. I request the Central Government to look into this matter.

I have already submitted that we have committed a mistake. I request you not to commit such a kind of mistake. At the time of emergency, some journalists have been harassed some people have been put in jail. We are sorry for that. But what is going on now even without emergency? For example, in Madhya Pra-

[Shri Mallanna]

desh, the mini-MISA has been introduced in Jammu and Kashmir MISA has been introduced. So, the Janata Party is saying one thing and doing another thing. In U.P. more than 50,000 Congress workers have been arrested. What action have you taken on that?

So far as the economic policy is concerned has it been announced on the AIR or in the press? Not at all. Because they have no economic ideology, because they have different ideologies, because they are four constituents of Janata Party with different ideologies and different programmes. They are unable to form an economic policy of the country which is in tune with the common-man's demands.

So far as the atrocities and misuse of mass media in emergency is concerned, I request Government not to repeat the same mistake again. This White Paper is a partial one, it is not full. It has not depicted the full picture of emergency, it has depicted only those things which suit the Janata Party. I request the hon. Minister to have a comprehensive report about the economic development during emergency period. So, I call this as partial one; it is politically motivated, it is painted to suit the guidelines of the Janata Party.

SHRI CHITTA BASU (Barasat):
Sir, I rise to support the White Paper which has been placed by the hon. Minister. Although it is called a White Paper, it has got black spots in it. Sir, the White Paper of Mr. Advani reminds me of Tennyson when he said:

"It is like nature, half-revealed
and half-concealed."

I do not like to dilate much on this because much of the ground has been covered by my friend, Prof. Mavalankar. It has concealed more than what it reveals. A time has come when, I think, the hon. Minister will take

pains to see that the stories which have not been told should be told again. The White Paper should be made really a comprehensive paper bringing to book the culprits.

There are shortcomings and inadequacies in the White Paper. I want to point out the basic and the principal reason for the shortcomings and the inadequacies which have crept into the White Paper itself. The basic and the principal reason is that the Das Commission was not free in exercising its own right in the matter of preparing the report itself because the secretarial assistance was offered by the same officers who ruled the roost in the I & B Ministry during the dark days of Emergency. I do not want to mention the names because the officers are not there to defend themselves. But I want to point out very clearly that many of the truths have been concealed. I hope the hon. Minister will look into the matter and see whether all the files, all the information and all the relevant incidents were put before the Das Commission so that they can make a complete and comprehensive report of the whole thing.

The procedure adopted is very surprising. As I have mentioned earlier, the officers who abetted the crimes, who perpetrated the crimes, have been allowed to help the Das Commission. Naturally, you can expect that they have concealed more than what they were required to reveal. Even at this late stage, I would request the hon. Minister to make another attempt to make a fuller and a more comprehensive report about the misdeeds and the excesses committed during the period of Emergency.

I would like the august House to know, in a nutshell, the enormity of the rigours perpetrated upon the press. I have got a catalogue of it. About 400 newspapers and periodicals had been under pre-censorship in different parts of the country. In West Bengal

alone, 309 newspapers and periodicals were put under the order of pre-censorship. You will be surprised to know that about 60 newspapers in the country were required to submit specified matter for prior scrutiny by the censors during the Emergency. In addition 10 newspapers during 1976-77 were placed under total pre-censorship from time to time. Again during the period 1976-77, seven foreign correspondents were expelled or their visas were not renewed for not complying with the guidelines issued by the Chief Censor. The entry of 19 correspondents into India was also banned. A total of 51 journalists lost their accreditations. They remained without accreditation until the new Government decided to revise the policy. During the period Emergency, the declarations of 2,649 newspapers were cancelled by District Magistrates. Fines amounting to Rs. 17,090 were realised in 174 cases.

This will give you the complete picture of what the erstwhile I & B Department under the leadership of Mr. V. C. Shukla did. I do not want to dilate on it.

My third point is about the Press Commission. Just now, some hon. Member of this House drew the attention of the hon. Minister to the delinking of the Press from the monopoly houses. You may be knowing that the first Press Commission criticised the considerable degree of concentration in the Indian Press. The trend has not come down, it is increasing. According to the figures at my disposal, it is found that in 1954 15 big newspapers commanded half of the total circulation of all the publications in the country. In 1975 you will find that only 7 big newspapers groups accounted for 50 per cent of the circulation. That was the concentration. The delinking of the Press from the big monopoly houses has been considered to be a remedy to prevent further acceleration of the trend.

I have quoted the hon. Minister who is present here. He laid on April 9, 1977 in the Rajya Sabha as follows:

"Government would look into the question of diffusion of newspaper ownership and delinking the Press from big business houses."

This is what he said on April 9 this year. I have quoted him only to remind him about this. I want to remind him that the erstwhile Government wanted to appoint a high level committee of Ministers as far back as 1971. Therefore, the matter of delinking the ownership of the Press is an outstanding problem of our country and the hon. Minister is aware of it. But I am surprised to find that he is opposed to this. Again I want to quote Mr. Advani. He said in the *Indian Express* on 11th April 1977 as follow :

"In the opinion of the Government freedom of the Press does not mean the freedom of the proprietors, but of dedicated journalists and editors."

Now let us listen to what the Prime-Ministr says. He says:

"Delinking of the Press was not called for. He asserted that freedom to run the Press had to be maintained like the freedom of delinking and expression. It would be an attack on that freedom if the Government were to restrict them."

This was reported in the *Indian Express* on 25th July, 1977

Now I would urge upon the Minister to spell out what is the actual attitude of the Government towards the very fundamental and basic problems of delinking the Press from the big monopoly houses which have been harming the democracy of our country, the professional intellectual of the country and the working journalists of our country. I hope the hon. Minister will take it is opportunity to answer all the points that I have raised.

चौधरी बजरंग सिंह (होशियारपुर) : सभापति महोदय, पत्रत - पत्र जो हमारे मंत्री महोदय से पेश किया है उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। इन्दिरा गांधी के राज्य के बारे में किसी शायर से कहा है :

सैयाद को क्या खूब हुनरमंदी है, हर बात पर एलाने खुदाबन्दी है। पहले थी बन्द कफ़स में बुलबुल, अब सेहने चमन में भी जुबां बंदी है।

आज रवी साहब ने कुछ बातें कहीं और उन्होंने बहुत ठीक ढंग से कहा है कि हमें उस बात से अफसोस है। लेकिन जिन्होंने किया है, उन्हें अभी तक कोई अफसोस नहीं है। यह शुरु की बात है कि अब उनकी जुबान यहां खुल गई। उस समय 20 महीने में कुछ बोले नहीं यह बुरी बात है। ये आज यहां कहते हैं कि आगे यह बात न हो सके। यह बात हम भी कहते हैं और जनता पार्टी के जितने मेम्बर भी यहां बैठे हैं, वे यह कहते हैं कि यह बातें दोहराई न जा सकें। लेकिन 20 महीनों में क्या हुआ। जो जुडिशियरी है वह भी और सर्वेसेज भी कमिटेड हों और इससे भी ज्यादा डेमोक्रेसी में यह अपोजिशन भी कमिटिड हो, यह इस हद तक चले गए। अपोजिशन भी यह बात करे जो रूलिंग पार्टी चाहती है, यहां तक ये पहुंच गए। इससे आगे यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने प्रचार शुरु कर दिया रूलिंग पार्टी की सोशल फिलासफी का। मुझे इस बात पर शर्म आती है कि हिन्दुस्तान के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी एक भी जज ने इस्तीफा नहीं दिया कि यह बकवास बन्द करो। उन्होंने कहा था कि इन जजेज को पढ़ाया जाए कि रूलिंग पार्टी की सोशल फिलासफी क्या है।

वह सुप्रीम कोर्ट के जजेज इन्दिरा जी का प्रचार करते थे। आप इन्दिरा जी को कह दें कि आज कमिटेड जुडिशियरी नहीं है। अगर आज कमिटेड जुडिशियरी होती तो तुम जेल में होती और उनको कोई बाहर निकालने वाला नहीं होता।

कुछ लोगों ने कहा कि इन्दिरा गांधी को किस तरह से गिरफ्तार किया गया। मैं कहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी ने जब इन्दिरा जी को गिरफ्तार कराया तो उन्हें मौका दिया कि वह जितने उनके हिमायती हैं उन्हें बुला लें और उन्हें पता चल जाए कि अब उनके साथ कितने लोग हैं। सारे दिन टेलीफोन्स खड़कते रहे, 5 घंटे का मौका इन्दिरा जी को और उनके बेटे संजय गांधी को मिल गया। कहा जाता था 20 महीने की एमरजेंसी में कि ये राइजिंग सन है। मैं कहता था कि दुमदार सितारा है और मनडूस सितारा है। उसने 5 घंटे लगातार टेलीफोन किए लेकिन इन्दिरा जी की कोठी पर सिवाय 3, 4 सौ आदमी के और आदमी इकट्ठे नहीं हो पाए।

हाईकोर्ट्स की जजमेंट होती है, गुजरात, बम्बई और दिल्ली हाई कोर्ट में जहां कुलदीप नैयर का केस पेश हुआ तो उस वक्त जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उसमें से एक को डिग्रेड किया गया। तो ये किस हद तक चले गए।

प्रेस की कितनी ज्यादातियां थी, ला० जगत नारायण जी राज्य सभा के मेम्बर पार्लियामेंट रहे हैं, उनका एक अखबार निकलता है, हिन्द समाचार और पंजाब केसरी। वह उनका अपना अखबार है लेकिन वह यह बात भी नहीं लिख सकता था कि एमरजेंसी के

दौरान ला० जगत नारायण गिरफ्तार हो गए। उन्हें बीमारी हुई, उनका आपरेशन हुआ, तो भी यह नहीं लिखा जा सकता था कि उनका आपरेशन हुआ है जेल में। इस ढंग से इन 20 महीनों में राज्य चला। आज यह कहते हैं कि यह बात दोहराई न जाए। हम भी यह कहते हैं कि यह बात दोहराई न जा सके। हम भी अडवाणी साहब को कहते हैं और जनता पार्टी के मिनिस्टर्स को कहते हैं कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि कल को किसी भी तरह से ऐसा न हो सके।

श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, एक बार चाणक्य नाम से आर्टिकल छपा था। उन्होंने कहा था कि ताकत जिस समय हाथ में आती तो उस समय करण्ट करती है। तो ताकत को करण्टन से बचने के लिए कुछ चैक्स होने चाहिए। आज हम जनता पार्टी की तरफ से कहते हैं कि कुछ ऐसे चैक्स लगाए जाएं कि गद्दी पर बैठने वाला कोई भी हो, चाहे जनता पार्टी का नुमाइन्दा ही हो, अगर उसके दिमाग में फितूर आ जाए कि हिन्दुस्तान के लोगों की जुबान बन्द करने के लिए और आजादी से लिखन वालों के हाथ बन्द करने के लिए अगर किसी वक्त दूसरा कदम उठाए तो उस वक्त सरकार का कोई ऐसा कानून हो जो उसे रोक सके।

इमर्जेंसी के दौरान जो कुछ हुआ है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी और उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेदार है, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य ने कहा है कि हमें भी इसका अफसोस है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग फाशिस्ट टेन्डेन्सीज के खिलाफ लड़ने की बात कहते हैं और इस के लिए एन्टी-फाशिस्ट रैलीज करते रहे हैं और उन की फोटो भी छपती रही है। लेकिन जब मन्जूरी लेकर कनाट प्लेस में महात्मा गांधी का

दिन मनाया गया, जिस में आचार्य कृपालानी भी बोले, तो श्री एच० वी० कामत वगैरह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उस की कोई खबर भी नहीं छप सकी।

इस से भी ज्यादा शर्मनाक बात यह हुई कि जब आचार्य बिनोवा भावे ने, जो कहते थे कि इमर्जेंसी एक अनुशासन पर्व है, गोरक्षा के लिए कोई बात कही, तो उन के प्रैस पर छापा पड़ा, उनके अखबार को जब्त किया गया और वहां के लोगों को पकड़ा गया। जब यह बात आचार्य बिनोवा भावे के नोटिस में लाई गई, तो उन्होंने कहा था कि इन्दिरा पागल हो गई है। पहले तो वह इमर्जेंसी की तारीफ करते थे, लेकिन डेढ़ साल के बाद उन्हें सही हालत का पता चला।

कहा जाता है कि इमर्जेंसी की कुछ नेमते भी थीं, यानी महंगाई घट गई थी। हम उस वक्त जेल में थे। सरकारी अफसर जो चीज लाकर देते उन के बिल हमारे पास मौजूद हैं, जिन्हे में टेबल पर रखने के लिए तैयार हूँ, उस वक्त प्याज साढ़े चार रुपए किलो, वनस्पति 14 रुपए किलो और चीनी साढ़े पांच रुपए किलो के हिसाब से मिलती थी।

यह भी कहा जाता है कि इमर्जेंसी के दौरान कोई लाक-आउट नहीं हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि जूट मिल और टेक्सटाइल मिले बन्द हुई थीं, जिस की वजह से लाखों आदमी बेकार हो गए थे।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : सभापति महोदय, जिन सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ

[श्री लाल कृष्ण अडवाणी]

प्रायः इस श्वेत पत्र का स्वागत और अनु-
मोदन हुआ है। अगर एक वाक्य में
इस सारी चर्चा का समापन किया जा सके
तो मैं समझता हूँ कि वह वाक्य विपक्ष
में बैठे हुए मेरे मित्र, श्री बयालार रवि,
ने आज आखिर में कहा। वह वाक्य इस
सारी बहस का सार होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वह एक ही टीका करना
चाहते हैं कि जो कुछ हुआ है, जिस का
दिग्दर्शन इस श्वेतपत्र में हुआ है, वह
भारत में फिर कभी नहीं होना चाहिए।
मैं नहीं समझता कि सारे सदन के लिए
इससे ज्यादा सहमति का और कोई
वाक्य हो सकता है। मैं
तो बघाई देना चाहता हूँ उनको
विशेषकर क्योंकि उन का भाषण जब में
सुन रहा था तो लग रहा था कि अगर
यही दृष्टिकोण उन के पूरे दल का हो
तो बहुत समस्याएँ हल हो सकती हैं।

श्री चित्त बसु : ऐसा वह पहले
सोचते तो ठीक था।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : अब उसके
बारे में तो माबलंकर जी ने कह दिया।
जो कुछ कह दिया उसके बारे में मुझे
कुछ कहना नहीं है। उन्होंने स्वयं वह
स्वीकार कर लिया इसलिए उसकी टीका
मैं नहीं करना चाहता। उन्होंने उसको
स्वीकार कर लिया।

महत्व की बात यह है कि हम लोक-
तंत्र में हैं और लोक-तंत्र में प्रचार
साधनों का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि
उसका अगर दुरुपयोग किया गया इस
प्रकार से जैसा कि इस श्वेत पत्र में प्रकट
हुआ है तो वह केवल थोड़ा बहुत राज-
नैतिक प्रभाव ही नहीं पैदा करता, किसी
पक्ष को फायदा पहुंचा देता है दूसरे

पक्ष का ग्रहित करता है, इतना मात्र
ही नहीं है, बल्कि सारी स्थिति को,
सारे समाज को विकृत कर सकता है
सारे समाज के मूल्यों को नष्ट कर सकता
है। और धीरे-धीरे करके यह स्थिति
तो आ गई थी कि देश में कोई भी व्यक्ति
आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विश्वास
करने के लिए तैयार नहीं था।

17-30 p.m.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair].

मैं यह मानता हूँ कि श्वेत पत्र में
घटना के रूप में या तथ्य के रूप में
चाहे अनेकों बात कही गई हैं लेकिन उसमें
से अगर कोई सब से गंभीर बात है तो
वह गंभीर बात वह भाषण है और उस
भाषण के आघार पर दिए हुए सरकारी
निर्देश हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन
को विश्वसनीयता की कोई चिन्ता नहीं
करनी चाहिए।

This utter contempt for credibility,
I think, is the worst thing that emerges
from this White Paper.

विश्वसनीयता के लिए बिल्कुल निरस्कार
की भावना। आप विश्वसनीयता का
तिरस्कार करेंगे तो उसका परिणाम
यही होगा कि आप चाहे जितना संचार
साधनों और प्रचार साधन लोगों पर थोप
दीजिए, सुबह से शाम तक 20 प्वाइंट
और 4 प्वाइंट का प्रचार कीजिए,
जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा।
जो पढ़ी लिखी जनता नहीं है जो शिक्षित
नहीं है वह भी इस विश्वसनीयता के
प्रति तिरस्कार की भावना के कारण
क्षुब्ध हो उठी और उसने कहा कि अगर
कोई सच्ची बात भी आकाशवाणी पर
आएगी तो उस पर विश्वास नहीं किया
जा सकता। कल जब कंवर लाल जी
बोल रहे थे तो बी बी सी की बात
उन्होंने कही की वह बी बी सी सुनते
थे। विरोध पक्ष के लोगों ने उस पर
टीका टिप्पणी की। लेकिन जो कंवर

लाल जी ने कहा वह बहुत सारे लोगों की स्थिति थी। देश में जो जेल के अंदर थे या बाहर थे सब की यही स्थिति थी क्योंकि लगता था कि केवल मात्र अगर कोई स्त्रोत है सही जानकारी प्राप्त करने का तो ये विदेशी माध्यम रहते हैं, बी बी सी उन में एक है। यह दुर्भाग्य की बात है, अच्छी बात नहीं है। अभी मुझे इन दिनों बे लोग मिलते हैं जो पहले बी बी सी सुनते थे, वे कहते हैं कि हम ने पिछले 6 या 8 महीनों से बी बी सी सुना ही नहीं तो खुशी होती है। इसका मतलब कि आज कम से कम आकाशवाणी और दूरदर्शन की साख तो बन गई है। यह नहीं है कि शिकायतें कम हो गई हैं। आप को शिकायतें हैं, मुझको शिकायतें हैं। यह नहीं है कि शिकायतें नहीं है। लेकिन क्रेडिबिलिटी बनी है। अभी कस रात को एक हमारे मित्र शिकायत कर रहे थे कि कल दोपहर को इतना बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, उस प्रदर्शन का एक वाक्य भी नहीं आया, न रेडियो पर न टेलीविजन पर। यह शिकायत पहली बार मैं नहीं सुन रहा हूँ। अनेक बार ऐसी शिकायतें होती रहती हैं, इधर से होती है और उधर से होती है। अनेक बार इधर से ज्यादा होती है।

मैं आप को एक बात का यकीन दिला सकता हूँ। मैं उस मामले में एक बात और भी साफ करना चाहता हूँ क्योंकि श्वेत पत्र की चर्चा करते हुए अनेक लोगों ने कहा, उन में विशेषकर हमारे विशेष सम्माननीय मित्र मावलंकर जी ने भी यही बात दोहरायी तो मुझे लगा कि मुझे उत्तम उत्तर आवश्यकता चाहिए। उन्होंने कहा कि यह श्वेतपत्र इक्वैलीकेट है, अपर्याप्त है। अगर इतना ही कहते तो मैं ईश्वर उपासना न करता, उस को कष्टना नहीं, लेकिन उस से आगे यह कहा गया कि—
It conceals more than it reveals.

उस का एक्सप्लेनेशन मावलंकर जी ने दिया, चित्त बसु ने दिया और उन्होंने कहा कि जो लोग उत्तरदायी थे इस सारे डिस्टॉर्शन के लिए वे कैसे अपनी गिल्ट बता देते।

It is a very credible explanation, but I can tell you.

साधारणतः इतने सारे कागजात आते हैं, सब मंत्रियों के पास आते हैं कि वह एक कांस्ट्रक्टिव रेस्पॉसिबिलिटी ले सकता है—
Constructive responsibility for every paper that is there. Nothing more. Minister is responsible.

मंत्री राजनैतिक दृष्टि से उत्तरदायी है, अधिकारी जो भी करें, गलती भी करें तो भी वह उत्तरदायी है। मैं इस में कांस्ट्रक्टिव रेस्पॉसिबिलिटी नहीं लेता,

In respect of this White Paper, I own full responsibility . . . deliberate.

और इसीलिए कोई यह कहे कि अधिकारियों ने जो अच्छा लगा वह छाप दिया, जो अच्छा नहीं लगा वह छोड़ दिया, क्यों कि वे स्वयं गिल्टी थे, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसलिए मैं आप से एक बात और कह सकता हूँ कि इन दिनों में यह जो मास मीडिया का दुष्प्रयोग है उसकी चर्चा केवल श्वेतपत्र में नहीं है, उसकी चर्चा आयोग के समक्ष भी हुई है और कई दिनों तक लगातार हुई है। मैं अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि आप जरा इस श्वेतपत्र को एक बार फिर पढ़ लीजिए और उस सारी चर्चा को फिर से पढ़ लीजिए, जितनी भी चर्चा हुई है, आप यह पायेंगे कि वहाँ की चर्चा का प्रारम्भिक आधार यही सारे तथ्य हैं।

This is, of course, only on the basis of the records.

उनको जब सप्लीमेंट किया गया था और ल एविडेंस तो वे अपनी थोरस एविडेंस बदल सकते हैं, उसको कंटाक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसके डिटेल्स सामने आये हैं। लेकिन सार जो है वह इसमें आ गया है।

[श्री लाल कृष्ण अडवाणी]

There is nothing that is concealed.

कंसीलिंग का सवाल नहीं है।

It may be inadequate because after all details are not always available.

जितने आयोग है छेदन जांच के, उनमें जांच के बाद ही पूरा पता लगा। अगर एक्सक्लूसिवली मास मीडिया के लिए ही आयोग होता और 26 दिन इसी की जांच करता तो और भी डिटेल्स सामने आते। इसका कोई अन्त नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस श्वेत-पत्र में जो स्कीम शुरू में स्वीकार की गई है उसकी लिमिटेशन्स है और वह यह है कि जल्दी से जल्दी जो चीजें हमारे पास रिकार्ड में मौजूद हैं, जिनके लिए हमको एविडेन्स लेने की जरूरत नहीं है उनको संसद् के सामने रख दें। अगर हम गवाही लेते हैं तो हमें उसको अवसर देना होगा जिसके खिलाफ हम शिकायत करते हैं कि बोलो आपको क्या कहना है। तो इस प्रकार की जहां पर जरूरत है उस काम को शाह कमीशन करेगा। आपने देखा होगा कि शाह कमीशन में, मास मीडिया के बारे में जो डिस्टार्शन किया गया है, उसकी जांच अभी भी हो रही है। श्वेत-पत्र प्रकाशित करने से वह काम पूरा नहीं होगा। श्वेत-पत्र में उन्हीं चीजों का समावेश किया गया है जो इंफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री के रिकार्ड में उपलब्ध है, फाइलों में लिखी हुई हैं। मिनिस्टर या सेक्रेटरी या अन्य अफसर ने स्वयं लिखी हैं।

SHRI S. R. DAMANI (Sholapur):

Will you kindly say one thing? Why are you saying that you are splitting up the *Samachar* into four agencies? They cannot be independent and will have to depend on the Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him continue.

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : मैं इसमें इस बात पर बल देना चाहूंगा कि इस श्वेत-पत्र में जो कमियां हैं वह इसकी योजना में निहित हैं। इसकी जो स्कीम आफ प्रिजेंटेशन है उसमें निहित हैं। इसमें नीयत का कोई सवाल नहीं है।

No officer can be blamed for omitting anything. There is nothing which is omitted because of any officer. If there is anything which is omitted, it is because of me.

आप दास कमिटी की रिपोर्ट देखें, उसमें कुछ चीजें ऐसी थीं जिनको मैं ने देखा तो मैं कहने लगा कि मुझे इसकी फाइल दिखाइये, उन्होंने कहा फाइल नहीं है, रिकार्ड में कुछ भी नहीं है तो मैंने कहा ओमिट करो और शाह कमीशन के पास भेज दो।

It has gone to the Shah Commission because I said that so far as this is concerned, I am keen to see.

चाहे 6 महीने बीत जायें लेकिन इसके एक भी शब्द को कोई यह न कह सके कि यह गलत है। आप देखें कि इस पर इतने दिन चर्चा हुई है, बाहर भी चर्चा हुई है और शाह कमीशन के सामने भी हुई है लेकिन आज तक एक व्यक्ति भी सामने नहीं आया, भूतपूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भी ऐसा नहीं कहा कि इसमें कोई ऐसी एक भी बात है जो गलत है।

उपाध्यक्ष जी, आरंभिक बात पर मैं इसलिए भी बल देना चाहता हूँ क्योंकि इन बिनॉ में सहज रूप से वह बात कही जाती है अगर कहीं पर कोई कमी दिखाई देती है, कोई गलती दिखाई देती है—विशेषकर हमारे पक्ष की ओर से—कि पुराने लोग बैठे हुए हैं वही गड़बड़ कर रहे हैं, इसी लिए सब कुछ हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि पुराने लोग बैठे नहीं हुए हैं लेकिन वे ऐसे लोग नहीं होंगे जो चाहेंगे

कि यह सरकार न चले। मैं यह मानता हूँ कि आप जेनरली इस प्रकार की चर्चा करके अधिकारियों को बड़ी दुविधा में डालते हैं, वे निर्णय नहीं कर पाते हैं।

एक माननीय सदस्य : स्क्रीनिंग तो होना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण शर्मावाणी : स्क्रीनिंग की चिन्ता न कीजिए, आप मेरे मंत्रालय को देखिए, मुझे दूसरे मंत्रालयों के बारे में पता नहीं है। मेरे मंत्रालय में मैं जानता हूँ—जो लोग पिछली कार्यवाहियों के लिए आइडेन्टिफाइड थे, वे आज वहाँ नहीं हैं, कोई महीने भर में चला गया, कोई पन्द्रह दिन बाद चला गया, लेकिन आज वहाँ नहीं हैं और अगर कुछ लोग हैं भी, जो उस समय भी थे और बहुत एक्टिव थे, मैं उनके सम्बन्ध में यह देखता हूँ कि उन को निर्देश दिया गया था कि ऐसा करो और वह गैर-कानूनी नहीं था। उन्होंने निर्देश के अधीन जो कुछ किया, मैं उस के लिए उन्हें दोष नहीं देता हूँ उन को कहा गया कि 20 प्वाइंट का प्रचार करना है, 4 प्वाइंट का प्रचार करना है। हालांकि चार प्वाइंट प्रोग्राम संजय गांधी का था, जिन का शासन में कोई स्थान नहीं था

प्रो० बिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : लेकिन उन्होंने कहा कि जे० पी० ने मर्डर किया।

श्री लाल कृष्ण शर्मावाणी : चक्रवर्ती जी, आप ने कुछ बातें कही हैं, मैं चाहूँगा कि आप मुझे कुछ स्पेसिफिकली बतलायें, मैं कार्यवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ूँगा, लेकिन स्वीपिंग एलीमिनेशन जनरल तौर पर करना मैं समझता हूँ—उपयुक्त नहीं है। It is not at all fair to them. इसी तरह से ह्वाइट-पेपर के

बारे में जब मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ—मैंने जानबूझ कर इस बात का उल्लेख किया है—तो मुझे कुछ कष्ट होता है। मैंने ह्वाइट-पेपर के सम्बन्ध में घण्टों अधिकारियों के साथ बैठ कर चर्चा की है, इस का प्रारम्भ कैसे होना चाहिए, इसका निर्णय किया। श्री के० के० दास स्वयं इतने सतर्क थे, जागरूक थे, सुबह से लेकर रात्रि तक लगे रहते थे कि जो डिक्यूमेण्ट प्रोड्यूस किया जाय उसमें कोई दोष न निकाल सके।

अब मैं फिर श्री रवि की बात की तरफ आऊँगा—उन्होंने कहा कि फिर से वैसी बातें नहीं होनी चाहिये। बहस में जो भी आलोचना हुई है, उस का आधार यही रहा है कि उन्होंने तो ठीक नहीं किया, प्रचार साधनों का दुरुपयोग किया, लेकिन आप भी तो वैसा ही कर रहे हैं। चन्द्रप्यन जी ने कहा, श्री वयालार रवि ने कहा, उन से पहले श्री उन्नीकृष्णन् ने कहा—मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूँ—पिछले 6-7 महीनों में कहीं भी मुझ से कोई गलती नहीं हुई होगी, ऐसा मैं नहीं कह सकता, गलती हो सकती है, लेकिन यह बात में विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन सात महीनों में सरकारी साधनों का जानबूझ कर दल के लिये कभी प्रयोग नहीं किया गया, एक बार भी नहीं किया गया। जिस को डेलिब्रेट प्रोपेगेंडा कहते हैं—ऐसा नहीं किया गया। और किसी अधिकारी ने मुझे खुश करने के लिये भी कभी कोई ऐसी बात कही है तो—

They are pulled up very severely than for an omission.

SHRI SURATH BAHADUR SHAH (Khari): It was greek for them.

SHRI L. K. ADVANI: I am sure many friends in the Opposition appreciate it and they are conscious of it. If it really was greek for them then Parliament.

[श्री जाल कृष्ण अडवाणी]

इस तरह से नहीं चल सकती। पार्लियामेंट बसने का अर्थ है—

Report can be built up between the Opposition and the ruling party on national issues, on important issues.

इसी संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूँ— कुछ लोगों को इस बात की शिकायत रही है कि आप जनता पार्टी से बात क्यों करते हैं। मैं इस बात को इनसिगनिफिकेन्ट नहीं मानता हूँ—

This is not without significance.

यह चार्ज है—आप लोगों के खिलाफ कि आप लोथ जनता पार्टी से बात क्यों करते हैं। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि जनता पार्टी शुरु से इस भूमिका को लेकर आई है, हमारी शुरु से यह भूमिका रही है कि हम आप साथ के बातचीत कर के आगे बढ़ें। कांग्रेस पार्टी में आज भी बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि जो कुछ पहले हुआ है, वह गलत हुआ है। अब एक नया अध्याय शुरु होना चाहिये और उस नये अध्याय को शुरु करने की ताकत और साहस दिखाते हुए यदि वे जनता पार्टी के नेताओं के साथ बात करते हैं तो इस में कोई गलती नहीं करते हैं। अगर ऐसा न हुआ होता तो देश के राष्ट्रपति सर्व-सम्पत्ति से न चुने जाते, लोक सभा के अध्यक्ष सर्व-सम्पत्ति से न चुने जाते, राज्य सभा के उपसभापति सर्व-सम्पत्ति से न चुने जाते। ये सारे चुनाव पहली बार सर्व-सम्पत्ति से हुए हैं। पहली बार हमने प्रेस को आज्ञा दी दिवाने के लिये जुरपील-विल पास किया। यह सब इसी लिये सम्भव हो सका कि विपक्ष में बैठे हुए लोथ हमारी पार्टी के लोगों से बात करते आये और हमारी पार्टी के लोग उन से बात करते आये। इस के लिये किसी को भी एपोलोजेटिक नहीं होना चाहिये, हम आप से बात करते हैं तो आप को भी जवाब करनी चाहिये।

No one should be apologetic about it.

हम भी बात करते हैं और आप को भी करनी चाहिए और यह जो रेपर्ट डेवलप हो रहा है, वह रेपर्ट और आगे बढ़े। कम से कम यह विषय ऐसा है इन्फार्मेशन एण्ड ब्रोडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, जिस के लिए हमारे मावलंकर जी तो यह कहेंगे कि इन्फार्मेशन मिनिस्ट्री नहीं होना चाहिए। उन्होंने सिद्धान्तः कोई गलत बात नहीं कही है। आखिर दुनिया में ऐसे देश हैं जहां पर इन्फार्मेशन मिनिस्ट्री नहीं है और इंग्लैंड में इस का एक छोटा सा, एक मामूली सा डिपार्टमेंट है। जापान में भी कोई इन्फार्मेशन मिनिस्ट्री नहीं होती है और दुनिया के कई और देश ऐसे हैं जहां पर ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है लेकिन दुनिया के उन देशों और हमारे देश में फर्क है, इस को भूलना नहीं चाहिए। फर्क इस नाते से है कि वहां विकास की एक स्थिति आ गई है, जिस विकास की स्थिति में स्वयं अपनी स्टीम जो जनरेट होती है सोसाइटी में, उस के आधार पर लोगों में सारी बातें पहुंचती हैं। यहां पर बहुत सारी हमारी रेसपोसिबिलिटीज हैं। आप ने जो बात कही कि किसी टेम्पटेशन में आ कर सारी दुनिया को हमको संदेश पहुंचाना है, उस के आधार पर आप मत चलिए। इस आधार पर अपने हाथ में कंट्रोल लेने को मैं तैयार नहीं हूँ। कंट्रोल मैं छोड़ रहा हूँ। जितने अधिकार मंत्रालय में सन्निहित हो गये थे, धीरे धीरे हम उन को छोड़ रहे हैं, बिल्कुल बांट रहे हैं।

आटोनामस कार्पोरेशन की जो बात है, उस के बारे में श्री वेदवत बरुवा ने कहा कि उस पर हम ने ध्यान नहीं दिया है और उन्होंने कहा कि हम अपनी बात भूल गये हैं और इस से हमारी क्रेडीबिलिटी नहीं बनेगी। आटोन्मेस कार्पोरेशन की जो हम ने बात कही थी, उस को हम पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ कि जब से हम आये हैं,

इस काम के लिए लग गये हैं। इसी बात के लिए हमने एक कमेटी बनाई है, वर्गीस कमेटी। उसको जो निर्देश दिये गये हैं, उनके अनुसार फरवरी तक अपना निवेदन हमारे सामने उस को रखना है। यह ध्यान रखिये कि उस निवेदन में उनको कोई गुंजाइश नहीं दी है कि यह कहें कि आटोनोमस कार्पोरेशन्स बनना ठीक नहीं होगा। हमने खाली यह कहा है कि अपनी सिफारिश करो कि आटोनोमस कोर्पोरेशन्स कैसे बनाई जाएं और उनको आटोनामी कैसे दी जाए और जब उनको आटोनामी दी जाएगी तो सरकार से उनके कैसे सम्बन्ध रहेंगे और पार्लियामेंट के प्रति उनकी एकजुटबिलिटी कैसे बनी रहेगी। इन बातों के बारे में आप सिफारिश करिये, अर्थात् इस सरकार का आटोनोमस कार्पोरेशन्स बनाने का जो कमिटमेंट है, उससे पीछे हटने का सवाल नहीं है। हम उसको पूरा करेंगे। फरवरी में वह हमको रिपोर्ट देंगे और उसके बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगमों का रूप देंगे।

इसके अलावा कुछ चीजें कही गईं। चन्द्रप्पन जी ने और दूसरे कुछ लोगों ने कुछ बातें कहीं। यह कहा गया कि पटना में हमारी एक बड़ी सभा, एक बड़ी रैली हुई थी और उसका उल्लेख नहीं हुआ। इन्डिविजुअली तो सबके बारे में बताना मुश्किल होगा लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है जैसे पटना वाली बात है, मुझे यह बताया गया कि पटना का एक बहुत लम्बा विवरण आया था। काफी लम्बा विवरण था। यह ठीक है कि यहां पर जो बुलेटिन थी, उसमें वह नहीं आया लेकिन पटना के आल इंडिया रेडियो स्टेशन से उसके बारे में ब्राडकास्ट हुआ था।

News Bulletin broadcast by All India Radio, Patna, in its regional bulletin on 29-9-77:

'The Bihar CPI organised a massive demonstration in Patna today in protest against the price rise and the deteriorating law and order situation in the State. The

processionists, carrying red-flag and banners, began their march from the Gandhi Maidan....'

It is a long report.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore): There was no news in the National News Service of All India Radio, and Samachar ignored it also altogether.

SHRI L. K. ADVANI: So far as Samachar is concerned, perhaps, I may have more complaints against the Samachar than you have. Even though during these 6 or 7 months Samachar has been behaving in its own way, at no stage whatsoever has there been any direction from us. Regarding A.I.R., yes; the moment any Member pointed out that this thing has happened or that thing has happened, such and such news was blocked out, etc., A.I.R. being my charge, I looked into it and I tried to find out why it has happened. I have always noticed that it is often sheer editorial discretion that they exercised.

कल की ही मैं आपको बात बताऊं। कल रात को उनके पास एक साथ बहुत सारे समाचार आए जिनमें शाह आयोग भी था, संसद की कार्यवाही भी थी, यहां पर प्रधान मंत्री जी के दो-दो वक्तव्य हुए और इस के अलावा और दूसरी बातें भी थीं। एक दिन में एक साथ इतनी सारी बातें आ गईं। इसके साथ साथ उन के पास दोपहर को प्रदर्शन होने की भी खबर आई। उस प्रदर्शन की खबर उन्होंने अपने हिसाब से रात को न दे कर सुबह दी जिस पर हमारे कुछ सदस्यों ने शिकायत की कि इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ और उस की खबर न रेडियो पर आई और न टेलीवीज़न पर आई। तब उन्होंने मुझे यह एक्सप्लेनेशन दिया कि एक दिन में इतना सब कुछ हो गया, हम क्या करें। और सुबह उन्होंने दिया है। अगर इतना भी अधिकार हम उन्हें न दें तो आटोनोमी की बात हम कैसे कर रहे हैं। I am not going to sit over their head हम कैसे आटोनामी की बात सोच रहे हैं ?

[श्री लाल कृष्ण भडवाणी]

कल मेरे एक मित्र ने उधर से कहा कि हमारे झाल इंडिया रेडियो में और उसके स्टूड्यो में स्टेट गवर्नमेंट्स का भी हिस्सा होना चाहिए। हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा कम कर रहे हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स का हिस्सा हम कहां से लायेंगे? संविधान निर्माताओं ने रेडियो और टेलीवीजन को जो केन्द्र का विषय बनाया वह सोच-समझ कर ही बनाया था। यह उनका निर्णय उपयुक्त था। सेंट्रल गवर्नमेंट का वह अपना सब्जेक्ट है। जिस तरह से मैं स्टेट के सब्जेक्ट ला एण्ड ग्रांडर में दखल नहीं देना चाहूंगा उसी तरह से मैं अपेक्षा करूंगा कि सेंटर के सब्जेक्ट में वे दखल न दें। हम लोग मिलजुल कर चलें। ला एण्ड ग्रांडर उनका सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, उसका निर्णय उन्हीं को करना है। ब्राड-कास्टिंग सेंटर का सब्जेक्ट है उसके बारे में निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है।

मैंने अपने आकाशवाणी के अधिकारियों से पिछले पांच-छः महीनों के, जब से कि हम आये हैं, कवरेज के बारे में विवरण मांगे हैं। जो मुझे इस संदर्भ में पिन-प्वाइंट किया जाता है, शिकायतों की जाती हैं उसी संदर्भ में मैंने वे विवरण मांगे थे। मैं आपको इन पांच-छः महीनों की ओवरऑल पिक्चर देता हूँ कि किस प्रकार से सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के बीच में समाचारों का विभाजन किया गया है।

आकाशवाणी के अधिकारियों ने मुझे बताया कि दिन में ग्रंथेजी के चार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं—एक सुबह घाट बजकर दस मिनट पर, दूसरा दोपहर दो बजे, तीसरा शाम को छः बजे और चौथा रात को नौ बजे प्रसारित किया जाता है। इन चार बुलेटिनों की जो मन्थवाइज रिपोर्टें मेरे पास आयी हैं वह इस प्रकार है—

जून में जनता पार्टी को जिसमें झकाली दल सम्मिलित है, 55 परसेंट कवरेज मिला, विरोधी पक्ष को 45 परसेंट कवरेज मिला। जिसमें से 30 परसेंट कांग्रेस को मिला। जुलाई मास में जनता पार्टी को 48 परसेंट,

विपक्ष को 52 परसेंट कवरेज मिला जिसमें से 32 परसेंट कवरेज कांग्रेस को मिला। अगस्त में 49 परसेंट जनता पार्टी को और 51 परसेंट विपक्ष को कवरेज मिला जिसमें से 44 परसेंट कांग्रेस पार्टी को मिला। सितम्बर मास में 51 परसेंट जनता पार्टी को मिला।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): But, what about the news coverage?

SHRI L. K. ADVANI: Whosoever makes news will get the coverage in All India Radio. I can assure you of that.

श्री कंबर लाल गुप्त (दि ली सदर) : आज तक झाल इंडिया रेडियो इंदिरा गांधी के गीत गाता रहा और अब भी कांग्रेस को जो समय मिला है उसमें से ज्यादा हिस्सा इंदिरा गांधी को चला गया। इनकी बात भी सही है, जरा इनके बारे में भी सोचिये।

श्री लाल कृष्ण भडवाणी : मैं वह रहा था कि सितम्बर मास में जनता पार्टी को 51 परसेंट और विरोध पक्ष को 49 परसेंट कवरेज मिला। अक्टूबर में जनता पार्टी को 38.5 परसेंट ही कवरेज मिला। इससे आप ही अन्दाजा लगाइये कि किस तरह से समाचारों का विभाजन हो रहा है।

मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि जहाँ तक आकाशवाणी से समाचारों के कवरेज का सवाल है उसमें विरोध पक्ष को पूरा समय दिया गया है। टाक्स और चर्चाओं में सभी तरह के लोगों ने भाग लिया है। विपक्ष के लोगों ने भी भाग लिया है। झाल इंडिया रेडियो जहाँ सरकार की नीति का प्रतिपादन करता रहा है वहाँ देश के अन्दर जितने भी विभिन्न विचार हैं, उनमें विपक्ष के मत भी आते हैं, उनको भी पूरी इमानदारी के साथ प्रसारित करता रहा है। अगर कहीं पर कमी दिखाई दी है तो आप हमारा ध्यान आकृष्ट कीजिए, हमारे अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कीजिए। इतना मैं जरूर कहूंगा कि नीयत पर धादमी को

विश्वास कर ना सीखना चाहिये और ऐसा किया जाएगा तो आसानी होगी अन्यथा सब बिल्कुल पालमिक्स हो जाएगा। आप एक बात कहेंगे और इधर से दूसरी कही जाएगी। तब इधर से कहा जाएगा कि हमें 38 परसेंट मिला है उनको ज्यादा मिल गया है। इस वास्ते इसका अन्त होना चाहिये।

उसी संदर्भ में मैं एडवर्टिजमेंट्स की बात करना चाहता हूँ। कल चन्द्रपन्न जी ने इसका उल्लेख किया था। शायद उन्होंने ही किया था और कहा था कि एडवर्टिजमेंट्स के बारे में पालिसी पिछली सरकार की और इस सरकार की भी गड़बड़ चल रही है। मैं इन्कार नहीं करता हूँ। उसका उल्लेख व्हाइट पेपर में भी किया गया है। डी०ए०वी०पी० के बारे में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है :

It was used as the economic arm of the government during that period. एक आर्थिक हथियार के रूप में काम में लाया गया। उसका विस्तृत विवरण है। किस प्रकार से किया गया क्या किया गया है उसका विस्तृत विवरण है। आपकी शिकायत जो पैट्रियट के बारे में थी वह सही थी। आपने जो कहा है उतना उल्लेख आना चाहिये था। अब कम आया है। लेकिन ऐसा जान बूझ कर नहीं हुआ है। अगर आप यह कहते हैं कि लेफ्ट का पेपर है तो आपने इजर, मदरलैंड का बिल्कुल नहीं है। मेन स्ट्रीम का बहुत ज्यादा आया है। नीयत को आप न देखें। मैं मानता हूँ कि पैट्रियट का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये था। एक बात समझ में मेरी आई है। पैट्रियट कुल मिला कर पूरी एमरजेंसी में कोई सरकार का क्रोप भाजन नहीं बना। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि 1974-75 में उसको 1 लाख 41 हजार के एडवर्टिजमेंट मिले और 1975-76 में 2 लाख 58 हजार के। फिर 1976 के शुरू में सरकार के मंत्री जी की तरफ से यह आदेश दिया गया कि इनको एडवर्टिजमेंट कम कर दो। बन्द नहीं किए

गए कम करने के आदेश दिए गए क्योंकि जिन लोगों के बन्द किए गए उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था और उनकी बाकायदा सूची बन गई थी और जिनके बारे में यह निदेश दिया गया कि इनके कम कर दो उनके वे कम कर दिए गए। अगले साल में शायद जान बूझ कर किसी को नजरअंदाज करने की बात नहीं है। लेकिन तथ्य यह है कि आगे चल कर पैट्रियट के विज्ञापन कम कर दिए गए। लेकिन मेरे आने के बाद फिर से डी० ए० वी०पी० को यह हिदायत दे दी गई है कि राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। उसके कारण आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 1976-77 में लगभग एक लाख के एडवर्टिजमेंट पैट्रियट को प्राप्त हुए हैं। कल जब उन्होंने कहा तो मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि आज भी वही हो रहा है और जब इस तरह की बात कही जाती है तो बाले-श्वर प्रप्रवाल आ जाता है बीच में, आर०एस० एस० आ जाता है और दुनिया भर की बातें हो जाती हैं। लेकिन जब मैं तथ्यों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में शिकायत का कोई कारण नहीं है।

18 hrs.

SHRI VAYALAR RAVI: The real matter is not advertisement to the Patriot. The real point is that Patriot is a victim of Emergency excesses.

SHRI L. K. ADVANI: There is no doubt about it. I am telling you that the Minister himself directed this.

मैं मानता हूँ कि आखिर तो डी ए० वी० पी० एक बहुत बड़ी संस्था है। वह देश भर में विज्ञापन देती है। सरकार इस डी० ए० वी० पी० के विज्ञापन वितरण की स्कीम का उपयोग कैसे करती है यह उसका सब से बड़ा प्रमाण है और साथ ही प्रमाण है

[श्री लाल कृष्ण अडवाणी]

उसकी ईमानदारी का, प्रामाणिकता का । जिस प्रकार से ए० आई० आर० और टी० वी० बड़े सशक्त माध्यम हैं उसी प्रकार से विज्ञापन देने की नीति भी सशक्त नीति है । तो पहला निर्देश यह है कि that political affiliations will not be taken into account in placing Government advertisements.

फिर दूसरा महत्वपूर्ण जो निर्णय किया है वह यह कि जो प्रमुख साधन या देश के अन्दर राजनीतिक अष्टाचार फैलाने का, सोवियेस को कोई भी सेन्द्रल गवर्नमेंट का विज्ञापन प्राप्त नहीं होगा चाहे वह किसी भी संस्था का सोवियेयर हो । मुझे आ कर के कहा कई लोगों ने कि आखिर दुनिया में अच्छे काम भी होते हैं और उनके लिये सोवियेस निकलने हैं, कोई अस्पताल आदि है जिसके लिये सोविनेयर निकलते हैं, तो मैंने कहा कि सरकारी विज्ञापनों का उद्देश्य चैरिटी नहीं होना चाहिये । चैरिटेबिल लोग देश में बहुत हैं उनसे पैसा प्राप्त कीजिये । लेकिन सरकारी विज्ञापन का उपयोग चैरिटी के नाम पर इस प्रकार से अगर किया जाएगा तो लूपहोल्स रहेंगे । इसीलिये मैंने बन्द करने का निर्णय किया है कि किसी भी हाउस जर्नल या साविनेयर को विज्ञापन नहीं दिया जायगा । और फिर छोटे और मध्यम दर्जे के पत्रों को विशेष रूप से वेटेज दिया जायेगा । और वह वेटेज का डिस्क्रिशन अपने हाथ में नहीं रखा है । वेटेज का रेट स्ट्रक्चर ले डाउन किया है कि इतना सकुलिसन, इस प्रकार का पेपर उसको इस रेट पर मिलेगा । तो सरकार या मंत्री जी के हाथ में डिस्क्रिशन नहीं है ।

PROF. P. G. MAVALANKAR: The Government must not go merely by circulation. It must also see whether it is a serious paper giving views independently and making critical comments on public issues. They must also be considered for

these advertisements because they help formulate public opinion.

SHRI L. K. ADVANI: I appreciate that it should not merely go by circulation.

लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि छोटे और मध्यम दर्जे के पत्रों को सहायता देते हुए हम देश के अन्दर पैरासिटिक पत्रों का निर्माण नहीं करना चाहते । बहुत से ऐसे पेपर हैं, मैं यैलो जर्नलिज्म को निकाले देता हूँ । जो स्पूरियस हैं । मैंने कहा है : Political affiliations will not be discriminated against.

लेकिन क्लैरिटी को विज्ञापन नहीं दिये जायेंगे । जो स्पूरियस पत्र हैं अगर आप उनके पांच-छे दिनों के अंकों को ले लें तो कुछ समय बाद मुख पृष्ठ की खबर अन्दर के पृष्ठों पर चली जाती है, खाली विज्ञापन बदलते रहते हैं जो कि प्रायः सरकारी विज्ञापन होते हैं । यह पुरानी स्थिति फिर से नहीं रहेगी ।

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tiruchirapalli): Sir, nobody will suggest that yellow journalism should be encouraged by the Government. That is not the point. But a major share of advertisements will go only to English papers. Regional languages are not encouraged. Regional language papers are run by political parties and independent journalists. They must be encouraged.

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : मैंने वेटेज का सिस्टम तय किया है । जैसे छोटे और मध्यम दर्जे के पत्रों को वेटेज है तो एंडेड वेटेज लेगुएज पैपर्स को है । मैं आपको बता दूँ, मैंने देखा कुल मिला कर जितनी स्पेस दी गई between the period 1-4-77 to 15-9-77 in terms of space, 76.22 per cent has been consumed by small and medium newspapers and the rest go to the bigger papers.

इन टर्मस आफ़ कौस्ट ग्राधा ग्राधा हो जाता है लेकिन जहां तक स्पेस का सवाल है तीन गैरार्थी से ज्यादा स्पेस स्माल न्यूज़ पेपर्स को दी है इन पिछले 4, 5 महीनों में ।

सभापति जी, अनेक सवाल और पूछे गये थे । श्री कंबर लाल गुप्त बैठे हैं, जिन्होंने दो सवाल पूछे थे । दो फिल्मों का उन्होंने उल्लेख किया था । तो यह बात सही है । क्योंकि हमारी तरफ से कोई निर्देश नहीं है । पहले तो यह होता था कि सेंसर बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से निर्देश प्राप्त करता था कि क्या करना है लेकिन हमारी तरफ से कहा गया है कि आप अपने जजमेंट को एक्सरसाइज करते हुए जो भी चाहें करें । उन्होंने अपने जजमेंट को एक्सरसाइज करते हुए कन्नड़ की फिल्म जिसे बाद में अंग्रेजी में वाइल्ड विड के नाम से स्नेह लता रेड्डी के हसबैंड ने बनाया, उस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने अनुमति नहीं दी । आज से 4 दिन पहले मंत्रालय के कुछ अफसरों द्वारा वह फिल्म देखी गई । उसमें स्वीकार किया गया है कि उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है ।

दूसरी फिल्म "किस्ता कुर्सी का" है । उसके बारे में अपील यहां आई हुई है, उस पर यहां चर्चा होगी ।

PROF. DILIP CHAKRAVARTY:
 Is Mrs. Gandhi going to get royalty for speeches published in various languages? Will it continue?

SHRI L. K. ADVANI: I think you have seen it; it is mentioned in the white paper itself.

SHRI KANWARLAL GUPTA:
 What about the films produced on Mrs. Indira Gandhi and seen by them and then they were asked to reproduce it? What about the difference in cost?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : आप उसकी कास्ट का एग्जैक्ट डिफरेंस चाहते हैं तो वह भी बता सकता हूं लेकिन मोटे तौर पर पहले डेढ़ लाख रुपये खर्च आया था । यह निर्देश दिया गया कि इसको देखा जाये और श्री संजय गांधी देखें । उसके बाद फिर से उसे रिवाइज किया गया, शूटिंग की गई और बहुत स्थानों में परिवर्तन किया गया । उसके बाद उसकी कास्ट सवा 3, साढ़े 3 लाख हो गई । उसके बाद जो प्रिंट बनते हैं, उससे 9,10 लाख रुपये खर्चा हो गया । इसके कारण प्रोडक्शन आफ दी फिल्म पर खर्चा दुगना हो गया ।

श्री उपप्रसेन : कहीं विदेशों में तो उसको नहीं भेजा गया है ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : कहीं नहीं भेजा गया है, इसका ध्यान रखा गया है ।

श्री कंबरलाल गुप्त : कैजुअल आर्टिस्ट और स्टाफ आर्टिस्ट के बारे में क्या है ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : उसके बारे में मैं समझता हूं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की सारी रचना में यह जो कलाकार हैं, इनको स्टाफ आर्टिस्ट्स के नाम से जाना जाता है । उनकी अपनी समस्याएं हैं और वह कई वर्षों से रही हैं । पिछले दिनों में हल भी हुई हैं और एक प्रकार से उन्हें बाकी सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष भी लाया गया है, लेकिन स्टाफ आर्टिस्ट्स के साथ साथ भी एक और कैटेगरी है जो कैजुअल आर्टिस्ट होते हैं । वह या तो किसी स्पैसिफिक काम के लिए नियुक्त किये जाते हैं या यह प्रोजेक्शन है, यह काम करना है, उसके लिये उनकी नियुक्ति की जाती है । वह तो कान्ट्रैक्ट होता है । कुछ स्थान रिक्त होते हैं स्टाफ आर्टिस्ट्स के उन स्थानों को भरने के लिये भी रखा जाता है । मुझे यह देखकर चिन्ता हुई कि वह स्थान 4,5 साल से रिक्त हैं और तब से कुछ

[श्री लाल कृष्ण श्रद्धवाणी]

व्यक्ति कैजुअल आर्टिस्ट्स काम कर रहे है। इस चीज को देख कर मैंने मंत्रालय में चर्चा की और एक योजना बनाई कि जिसके द्वारा उनको रैगुलराइज किया जाये। अलबत्ता रैगुलराइजेशन का जो प्रोसेस बना रहे थे, उसमें जो लांग टर्म कैजुअल आर्टिस्ट्स थे जिनको कुछ निश्चित समय हुआ है काम करते हुए, उनको तो लाभ पहुंचना था। लेकिन क्या हुआ इन दिनों में, खासकर 1976 और 1977 में कि बहुत सारे लोग किसी न किसी कारण से अन्दर प्रवेश पा गये थे और वे कैजुअल आर्टिस्ट्स हो गये और चाहते हैं कि सब कैजुअल आर्टिस्ट्स का रैगुलराइजेशन होना चाहिये। मैंने कहा है कि जो लोग बाकायदा प्रासेस में से नहीं आये हैं, उनका डायरेक्ट रैगुलराइजेशन नहीं हो सकता है। जो पुराने हैं, उन का हो जायेगा।

श्री कंबर लाल गुप्त : 1975 से पहले वालों का तो हो जायेगा ?

श्री लाल कृष्ण श्रद्धवाणी : वह जरूर हो जायेगा, लेकिन 1975 से बाद वालों के संबंध में भी मेरा मत यह है कि अगर कोई व्यक्ति काम करते करते थोवर-एज हो गया है और आज वह काम्पीटीशन में बैठने का अधिकारी नहीं है, तो उसके मामले में हम रिलेक्सेशन कर देंगे। लेकिन उन्हें नार्मल सिलेक्शन प्रासेस के माध्यम से आना चाहिए।

SHRI BEDABRATA BARUA: How will the break-up of Samachar be an improvement? I think he has not replied to that.

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Barua, you cannot push the Minister ahead of what he wants to say. He is replying to certain points raised by other hon. Members. You are interested only in Samachar. You better wait till he comes to that.

एक माननीय सदस्य : प्रो० चक्रवर्ती ने पूछा है कि क्या मैडम को रायल्टी मिलेगी।

श्री लाल कृष्ण श्रद्धवाणी : अगर किसी को विदेश से रायल्टी मिलती है, तो उससे हमारा संबंध नहीं है। जब मेरा ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया कि काम तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय करे और रायल्टी लेखिका को दी जाये, तो मैं ने कहा कि यह तो नहीं हो सकता है, इस का कोई औचित्य नहीं है।

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: Can't we do anything so that the payment of royalty can be stopped? That is my question.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: He has not said anything about delinking.

MR. DEPUTY SPEAKER: I will have to repeat what I have said to Mr. Barua.

श्री लाल कृष्ण श्रद्धवाणी : कापी राइट एक्ट को तो हम बदल नहीं सकते। उस के अन्तर्गत अगर कोई अधिकारी है, तो वह तो रायल्टी पायेगा ही। लेकिन जहां तक हमारे मंत्रालय का सवाल है, उस का मामला हम ने ला मिनिस्ट्री के सुपुर्द कर दिया है। पहले उस की स्वीकृति थी। पहले यह लिखा हुआ है कि इस की रायल्टी श्रीमती इन्दिरा गांधी को जायेगी। मुझे यह जरा बिचित्र लगा और इस लिए यह मामला विधि मंत्रालय को सलाह देने के लिए भेज दिया गया है।

श्री कंबर लाल गुप्त : मैंने सुना है कि भाल-इंडिया रेडियो पर जवाहरलाल जी के जो आफिशियल भाषण हुए हैं, उस की रायल्टी भी श्रीमती इन्दिरा गांधी लेती रहीं हैं।

श्री लाल कृष्ण श्रद्धवाणी : छोटे छोटे इश्यू और भी कई होंगे। मैं समाचार-

पत्रों का उल्लेख कर के अपनी बात समाप्त करेगा ।

SHRI CHITTA BASU: The delinking of the newspapers from big business houses—is it not a fundamental issue?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : मैं दोनों विषयों को लूंगा । पहले मैं डीलिकिंग को लेता हूँ ।

SHRI M. V. KRISHNAPPA (Chikballapur): That is a delicate point.

श्री लाल कृष्ण अडवाणी मैं इसे एक डेलीकेट पायंट नहीं मानता हूँ । लेकिन मैं इतना जरूरत मानता हूँ कि यह इस्सू केवल एक पोलिटिकल इस्सू के तौर पर उपयोग करने के लिए नहीं है। पिछली सरकार ऐसा करती रही होगी कि जब चाहे एक पापुलिस्ट स्लोगन के रूप में इस का उल्लेख कर दिया, और करना कुछ नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि जब तक राज की व्यवस्था का कोई वायबल आल्टरनेटिव प्रस्तुत नहीं होता है, और स्पष्ट नहीं होता है, तब तक वर्तमान ढांचे को बिगाड़ने का कोई अर्थ नहीं है। इसी संदर्भ में हमारी सरकार यह विचार कर रही है कि अब वह समय नहीं आ गया है कि हम एक प्रिंस कमिशन, प्रिंस आयोग, का गठन करें, जो इन सब प्रश्नों पर विचार करे। उन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि इस इमर्जेंसी के दौरान प्रिंस और पत्रकारों ने जैसा रोल किया, उस का कारण क्या था, आखिर कमबोरी कहाँ थी, इसका विश्लेषण और विवेचन होना चाहिए। यह सारा मामला विचारणीय है। उस में धीनरशिप पैटर्न जो है यह भी विचारणीय है और उस धीनरशिप के पैटर्न में ही यह सारी बातें आ सकती हैं।

समाचार की बात में सल्लेप में कुछ क्यों कि समय काफी हो गया। उस के बारे में

मैंने जो वक्तव्य दिया है वह सरकार के दृष्टि कोण को व्यक्त करता है। एक दृष्टि कोण यह हो सकता था कि हम नियंत्रण करें कि यह अच्छा है या वह बुरा है। कुछ लोग कहते थे जैसे कुलदीप नैयर कमेटी ने सिफारिश की कि समाचार आज जो है उस को दो हिस्सों में बांटा जाय—एक वार्ता, एक संदेश और फिर ये दोनों वार्ता और संदेश मिला कर के एक न्यूज इन्डिया बनाए जो अंतर्राष्ट्रीय समाचार वितरण करने के लिए और समाचार लेने के लिए एक संस्था बने अर्थात् तीन संस्थाओं का उन्होंने सुझाव दिया। दूसरा मत था कि इसको बिगाड़ा न जाय, क्यों न बनाए रखा जाय और एक कानून पास कर उनको आटोनामी दे दी जाय। आटोनामी देने की बात इस आधार पर थी कि उन को आजादी दे दी जाय। मैं उनकी कहता था कि आजादी तो उनको आज भी है। समाचार की औपचारिक रूप से सरकार से कुछ लेना देना नहीं है? एक अधिकारी हमारा था उस समय जित समय एमर्जेंसी थी। हमारे मंत्रालय का एक अधिकारी उस समय था, हम ने आते ही उस को वापस ले लिया। हम ने कहा कि हमारा कोई वास्ता नहीं है और वह हट गए। उस के बाद

Samachar was an independent society acting on its own.

उस की इंडिपेंडेंस की सीमा कोई थी तो शायद इसलिए थी कि जितना खर्च था वह सरकार से, सारा प्राप्त होता था और अभी भी हो रहा है। इसी स्थिति को हम चिरस्थायी नहीं करना चाहते। इसको हम बनाए नहीं रखना चाहते। किसी ने कहा उधर से शायद रवि ने ही कहा कि समाचार को विच्छिन्न कर के और फिर उन को रिसोर्सेज दे कर उस को नियंत्रित करने की योजना बन रही है। अब नियंत्रित करने की योजना ही बनानी थी तो आज जो स्थिति थी उसको बनाए रखना सब से अच्छा है, सरल है। एक दो नियंत्रित करना सब से सरल होता है।

[श्री लाल कृष्ण अडवाणी]

लेकिन सरकार की जो कमिटी है वह कमिटी फ्रीडम की है। दूसरी बात यह है कि फ्रीडम का मतलब यह भी है कि अखबार वाले और न्यूज एजेंसी स्वयं फैसला करें कि कैसी न्यूज एजेंसी चाहते हैं। अगर वे सब लोग सर्वसम्मति हो कर हम से कोई एक बात कह देते तो शायद हम मान लेते। अगर सब लोग एक स्वर में कह देते, सारे जितने पत्रकार हैं, तो हम मान लेते। लेकिन पत्रकारों में बहुत शार्प डिविजन है। इतना शार्प डिविजन है कि कुलदीप नैयर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आप सब ने प्रतिक्रिया देखी और हर एक के म्याल में आया होगा। There can be no unanimity on this view.

एक बात पर तो यूनानिमिटी हो ही सकती थी जैसा कि आया है कि Let them decide what will be the future course of action.

हम कहते कि नहीं, तुम दो बनाओ, एक बनाओ, तीन बनाओ, यह उपयुक्त नहीं है, हां, इतना जरूर है कि जिस रूप में समाचार बना है, जिन परिस्थितियों में बना है वह एक प्रकार की ज्यादाती थी, एक प्रकार से विकृति थी, वह एक प्रकार से आपात स्थिति की उपज थी और हमारा दायित्व सीमित था कि उस विकृति को दूर किया जाय, पूर्व स्थिति लायी जाय। पूर्व स्थिति एक बार आ जाय तो हमने यह नहीं कहा है कि क्यों कि कम्पीटीशन जरूरी है इसलिए चार एजेंसीज होनी चाहिए, हमने यह नहीं कहा है कहीं पर भी हमने यह कहा है कि If the news agencies come together and decide to cooperate they would

be welcome to do so.

जो करना चाहें वह करें और सरकार का अपना जहां तक दृष्टिकोण है, वह भाषायी न्यूज एजेंसीज को प्रोत्साहन देना चाहती है। यह हम ने कहा है। सरकार का जहां तक दृष्टिकोण है यह जो नान-एलाइन्ड न्यूज पूल बना है वह अच्छा बना है, यह आगे बढ़ना चाहिए और उस में जो अब चार न्यूज एजेंसीज बनेंगी उन के भाग लेने में हम सहायता करेंगे। फिर सरकार की एक चिन्ता और थी और वह चिन्ता मैंने उसी समय व्यक्त की थी जब कमेटी बनाई थी कि समाचार के आने के कारण एम्प्लाइज को कुछ लाभ पहुंचा, ऐसा न हो कि जो नयी स्थिति आए उस में एम्प्लाइज को कुछ हानि हो जाय। इसीलिए हम ने सोचा कि हमारी कुछ जवाबदेही है इस मामले में और वह जवाबदेही हम निभा रहे हैं। हम ने यह घोषणा की है कि अगर यह समाचार पूर्व स्थिति में आ जाय तो सरकार इस काम में उन की सहायता करेगी और उन के एमाल्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करेगी।

श्री उपस्थित : उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : पुनर्वास की व्यवस्था के लिए भी हम सोच रहे हैं। चार एजेंसीज का एक ही दफ्तर है, तीन एजेंसीज ने दफ्तर छोड़ दिया तो उनकी नया दफ्तर लेना होगा। इस प्रकार नये सिरे से आरम्भ करने के लिए उनकी जरूर कुछ आवश्यकता पड़ेगी। उसकी व्यवस्था के लिए भी हमने कहा है कि हम करेंगे हम चाहते हैं कि न्यूज एजेंसीज अपनी पूर्व

स्विति में आकर एक स्वास्थ्य वृष्टिकोण लेकर इस देश की प्रेस की रचना में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका उनको निभानी है उसमें हम उनका पूरा सहयोग कर सकें।

SHRI KANWARLAL GUPTA: My last question is: What is the attitude of the Government towards those journalists, Indian and foreign, who suffered during the Emergency and withstood the pressure and all that? What is your attitude towards those journalists, because I feel they are not properly treated even now?

PROF. P. G. MAVALANKAR: If you go back to *status quo*, what about those individuals who opposed the formation of Samachar and who were victimised? I want to know whether they would also get proper treatment from the Government.

श्री लाल कृष्ण शर्मा : यह जो बात है वह समाचार एजेंसीज के साथ लागू नहीं होती है लेकिन हमने अपनी ओर से अपनी सरकार में भी, जिनके ऊपर विक्टिमिजेशन हुआ है उनको रि-इंस्टेट किया। जो प्राइवेट स्थापने हैं उनको लेकर मिनिस्ट्री की ओर से निदेश गए हैं कि इस प्रकार से आपकी करना चाहिए और समाचार एजेंसीज हैं, समाचार पत्र हैं उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि इमरजेंसी के दिनों में जो ज्यादतियाँ हुई हैं उनके सम्बन्ध में न्याय किया जाये। (ब्यवधान) एग्जीक्यूटिव प्राईस जो प्रेस के खिलाफ थे या प्रेस को सीमित करने के संबंध में थे, एक्टिविटी के संबंध में थे या फारेन जर्नलिस्ट्स के डिपोर्टेशन के संबंध में थे वह सब के सब रिबोक हो गए हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER: Now there are some substitute motions. Shri S. Kundu has written saying

that he wants to withdraw his substitute motion.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (Shri S. Kundu): I seek leave of the House to withdraw my substitute motion No. 2.

Substitute motion No. 2 was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Hukmdo, Narain Yadav is not present here. I shall put his substitute motion No. 1 to vote.

Substitute motion No. 1 was put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, I shall put Shri A. K. Roy's substitute motion No. 3 to vote.

Substitute motion No. 3 was put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Hari Vishnu Kamath is not present here. I shall put his substitute motion No. 4 to vote.

Substitute motion No. 4 was put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Samar Guha is not present here. I shall put his substitute motion No. 5 to vote.

Substitute motion No. 5 was put and negatived.

श्री उग्र सेन (देवरिया) : मैं अपनी सभ्सीकृत मोशन को वापस लेना चाहता हूँ।
Substitute motion No. 7 was, by leave, withdrawn.

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI (Khalilabad): I seek leave of the House to withdraw my substitute motion No. 8.

Substitute motion No. 8 was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Keshavrao Dhondge is not present here. I shall put his substitute motion No. 9 to vote.

Substitute motion No. 9 was put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Laxmi Narayan Nayak, do you want to withdraw your substitute Motion?

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो):
मैं अपने सन्स्टीचूट मोशन को वापस लेना
चाहता हूँ।

MR. DEPUTY SPEAKER: Has Mr. Nayak the leave of the House to withdraw his substitute Motion?

HON. MEMBERS: Yes.

Substitute motion No. 12 was, by leave, withdrawn.

18.25 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 16, 1977/Kartika 25, 1899 (Saka).